

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2023 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री गोपाल मीणा, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
2. श्री बरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
3. श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर - सदस्य के अवकाश में रहने के कारण वरीय उप समाहर्ता, राजस्व, मुजफ्फरपुर उपस्थित हुए।

कार्यवाही:-

1. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं वी0 सी0 से जुड़े सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. विगत बैठक दिनांक 29.11.2023 की कार्यवाही के अनुपालन का निदेश दिया गया।
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा- 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 इत्यादि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सकें। दिनांक 24.02.2023 को प्राधिकार की बैठक में समय-अंतराल पर लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए निर्धारित समय अन्तराल वाले आवेदन को परमिट हेतु स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

दिसम्बर-2023 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु कुल 41 नये आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर भी विचार किया गया, जो कार्यावली संख्या-3(i)-परिशिष्ट-IV पर दर्ज है। इस नियम के आधार पर कुल प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्न है:-

कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	लंबित आवेदन
41	21	12	06	01	01

(कुल स्वीकृत- 21 + 12 = 33 )

कुल 11 लंबित आवेदनों पर भी विचार किया गया।

प्राधिकार का निर्णय पृष्ठ संख्या 19 से 52 तक कुल 34 पन्नों में संलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये

8 11 2

	1932 दिनांक 12.03.2021	निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापांक 1932 दिनांक 12.03.2021	शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में।
7	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 2372 दिनांक 11.04.2023	मार्ग संख्या-415, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, भाया-बेनीबाद पर परमिट निर्गत करने का आदेश।
8	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 03.04.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
9	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
10	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।

5 (i) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 की बैठक में सभी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि अपने बसों के दोनों तरफ (i) परमिटधारी का नाम एवं पता (ii) परमिट संख्या एवं वैधता (iii) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (iv) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लें, अन्यथा दिनांक 31.07.2023 के बाद बसों के दोनों तरफ उक्त विवरणी अंकित नहीं पाये जाने पर नियमानुसार प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करें एवं जाँच प्रतिवेदन भेजें।

(ii) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना:- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यवसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, परन्तु अभी भी अधिकांश बस मालिकों द्वारा अपने बस में V.L.T.D. स्थापित नहीं कराया गया है।

8/7/23

अतएव सभी वाहन मालिकों को निदेश है कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे।

साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को पुनः निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करें एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

**(iii) वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :-**

सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)
1	0-5	असीमित
2	5-10	600
3	10-15	400
4	15 से ऊपर	100

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि के पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे। 15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

**(iv) गति सीमा का पालन :-** सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-8(i)(1) में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

यदि गति सीमा के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को रद्द कर दिया जाएगा एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

**(v) Overlapping of Route:-** मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आ रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है। दुसरे मार्ग पर परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट है कि जब एक मार्ग दुसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक-दुसरे को अच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गत किया जाएगा तथा जब एक मार्ग दुसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक अच्छादित करता हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए उस पर परमिट निर्गत नहीं किया जाएगा। यह निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है।

8 1 0

(vi) उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ :- जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की अगली बैठक में "पहले आओ-पहले पाओ" के नियम के आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।

6. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा आर0टी0ए0 में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं जिसकी जानकारी विस्तार से दी गयी:-

- परमिट हेतु निर्णय सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द कर दिया जायेगा।
- पूर्ण आवेदन देने हेतु सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट ([www.tirhutdivision.nic.in](http://www.tirhutdivision.nic.in)) पर प्रकाशित किया जाता है, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगम तरीके से प्राप्त हो सके, यथा-मार्गवार सभी बसों की समय-सारणी इत्यादि। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का Sample भी वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।
- आवेदन स्वीकृति के पश्चात निर्गत परमिट आवेदक के पता पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाती है। साथ ही निबंधित डाक पावती को परमिट के कार्यालय प्रति पर रख कर उसे Scan किया जाता है तथा उस परमिट की प्रति को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाता है, ताकि परमिट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक अपने निर्गत परमिट की Status की जानकारी प्राप्त कर सके। पता गलत होने पर निबंधित डाक वापस आ जाने की स्थिति में आवेदक पर 1000=00 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माना जमा करने पर ही पुनः निबंधित डाक से परमिट संशोधित पता पर भेजा जाता है। अतएव सभी आवेदकों से अनुरोध किया गया कि निबंधन पुस्तिका/ Owner book में अपना पता अद्यतन करा लें।
- समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया जाता है।

क्र० सं०	विषय	कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
1	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना के संबंध में।	पत्रांक-282, दिनांक-15.04.2023	हिन्दुस्तान	19.04.2023
2	जुर्माना जमा करने के संबंध में।	पत्रांक-415, दिनांक-31.05.2023	प्रभात खबर एवं हिन्दुस्तान	03.06.2023
3	जुर्माना नहीं जमा करने पर परमिट के निलंबन के संबंध में।	पत्रांक-717, दिनांक-28.06.2023	हिन्दुस्तान	29.06.2023
4	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित करने के संबंध में।	पत्रांक 834 दिनांक 15.07.2023	दैनिक जागरण	16.07.2023

- V.L.T.D. रिपोर्ट एवं Toll Plaza से रिपोर्ट प्राप्त कर वाहन के परिचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
- आवेदन एवं एजेन्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।

8 7 2

- (vii) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जाता है।
- (viii) **शिकायत हेतु E-mail/ whatsapp नम्बर :-** यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो E-mail id-rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in या टेलीफोन नं० 06212212103 पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनके नाम को गोपनीय रखते हुए शिकायत की जाँच करायी जाएगी। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर से मिलकर कार्य का निष्पादन कराया जा सकता है। फिर भी संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।
- (ix) **बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :-** सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गयी कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराह्न 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

## 7. सामान्य निदेश:-

- (i) **इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :-** उन सभी बसों को जिनके परमिट पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, उन्हें एक सप्ताह में वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना होगा एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है।
- (अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)
- (ii) **अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :-** जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन हो रहा है तो वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वैसे बसों को अभियान चलाकर पकड़ने तथा उस पर नियमानुसार जुर्माना लगाने का निदेश सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डल अन्तर्गत को दिया गया। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया गया, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड समूह के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। वैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे।

8 9 10

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत/आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

- (iii) सशर्त परमिट स्वीकृति के मामलों में शर्त का अनुपालन/जुर्माना राशि अदा करना :- सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा जिन आवेदनकर्ताओं का आवेदन सशर्त स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, अधिभार की राशि, प्रक्रिया शुल्क एवं यदि जुर्माना किया गया हो तो जुर्माना की राशि चालान से 10 दिनों के अन्दर जमा करा कर तदनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यदि 15.01.2024 तक वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose of) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को किसी अन्य आवेदक के वाहन को नियमानुसार आवंटित कर दिया जाएगा।

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

- (iv) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, पूर्व का मूल परमिट (पूर्व से निर्गत परमिट पर आवेदन हो तो) एवं प्रकाशित समय-सारणी तथा ऑनलाईन आवेदित समय-सारणी इत्यादि की जाँच संबंधित सहायक एवं प्रधान सहायक द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात परमिट निर्गत किया जाएगा।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सहायक/प्रधान सहायक)

- (v) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाइम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इस तरह के मामले पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी डी0टी0ओ0 को जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

- (vi) आपत्तिकर्ता का दायित्व :- आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा- टैक्स, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र आदि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि स्वयं के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर आपत्तिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रूपये जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के ई-मेल [rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in](mailto:rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in) पर करें, ताकि कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

8 97 0

जिन आपत्तिकर्ताओं के वाहन पर कागजात अद्यतन नहीं होने के कारण जुर्माना अधिरोपित किया गया है, वे दस दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि जमा कर कार्यालय को सूचना देंगे अन्यथा भविष्य में उनके आपत्ति या परमिट आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सहायक/प्रधान सहायक)

## 8. नये आवेदन :-

- (i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात :- सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाएगा परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो एवं कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना या ई-मेल [rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in](mailto:rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in) पर भेजना आवश्यक है।
- (a) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (b) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (c) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (d) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (e) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ मोटरयान निरीक्षक से सत्यापन के पश्चात आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैठान क्षमता, ए0सी0/नॉन ए0सी0, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके। कतिपय आवेदकों द्वारा आपत्ति किया गया कि सॉफ्टवेयर में एक ही फोटो अपलोड करने का विकल्प है। उल्लेखनीय है कि चार-पाँच फोटो एक साथ scan कर एक pdf/image file के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
- (g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।
- (h) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1)।
- (i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (j) मार्ग का वैध नक्शा।
- (k) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
- (l) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) - दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

### प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

- (ii) अपूर्ण आवेदन :- कोई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं, जैसे वाहन की संख्या लिखने में, तो कुछ का समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में

8 7 2

लगने वाले समय लिखने में या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाइन नहीं कराने में। ऐसे मामले में प्राधिकार द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया, परन्तु आवेदकों द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया कि पूर्व की भाँति जुर्माना लगाकर एवं भूल सुधार कर परमिट निर्गत किया जाये, भविष्य में त्रुटिपूर्ण आवेदन नहीं देंगे।

आवेदकगणों के अनुरोध पर प्राधिकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि त्रुटिपूर्ण आवेदन में अंकित त्रुटि के सुधार हेतु आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-2) में शपथ-पत्र एवं जुर्माना की राशि जमा किया जाता है एवं त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनके समय-सारणी का टकराव किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से नहीं होता है तो इस शर्त के साथ परमिट निर्गत किया जाएगा, यह वैकल्पिक है। आवेदक चाहे तो इस विकल्प को नहीं मानकर पुनः नियमानुसार पूर्ण आवेदन दे सकते हैं।

प्राधिकार द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। पिछली बैठकों में अपूर्ण आवेदनों की समस्या पर विस्तार से जानकारी एवं जुर्माना लगाया गया था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण जानबूझकर अधूरा आवेदन देते हैं। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय सारणी की सही जानकारी प्रतिद्वंद्वी आवेदकों/पूर्व से परमिटधारी को नहीं हो पाने से उचित आपत्ति देने एवं कार्यालय द्वारा भी सही तथ्यों की जानकारी नहीं रहने पर गलती होने की संभावना रहती है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आवेदनों को पूर्ण मात्र ऑफलाईन माध्यम से ही कराया जा सकता है। इस प्रकार इसे अच्छी प्रथा नहीं कहा जा सकता है। पुनः कार्यालय को नये सिरे से जाँच-पड़ताल कर परमिट देना पड़ता है, इसलिए जुर्माना लगाये जाने का निर्णय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा लोकहित एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। यह सिर्फ विकल्प है, यदि आवेदकगण जुर्माना नहीं देना चाहते हैं तो वे पुनः नियमानुसार विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त Time slot में आवेदन कर सकते हैं। जो जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते हैं, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष R0041001010017-00-03 में जमा कराकर कार्यालय में सूचना देने के पश्चात् ही त्रुटि सुधार कर नियमानुसार उचित होने पर परमिट निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार कार्यवाही के क्रमांक संख्या 05, 06, 19 आदि पर त्रुटिपूर्ण आवेदन प्राप्त था, जिसमें सशर्त स्वीकृति दी गयी है।

- (iii) जुर्माना लंबित होने पर भी परमिट हेतु आवेदन करने पर अतिरिक्त जुर्माना :- कई आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना की राशि लंबित होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित किया गया है। डिफॉल्टर होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित करना नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि जो आवेदक/आपत्तिकर्ता स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है या Defaulter है उसे लाभ/अपना दावा/परमिट प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। ऐसे आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त 10000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के साथ उनका आवेदन/आपत्ति स्वीकृत किया गया है।

सभी बस मालिकों से अनुरोध है कि आवेदन से पहले एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक से पूर्व अपने ग्रुप के सभी वाहनों पर अधिरोपित जुर्माना जमा कर दें एवं सभी कागजात अद्यतन करा लें।

- (iv) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :- प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया कि प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे।
- (v) कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों के कागजात की जाँच कर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा कृत कार्रवाई की सूचना एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को भी देंगे। अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।

8



अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित वाहनों की कागजात की जाँच कर सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो।

**(vi) कार्यालय में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :-** सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालय से संबंधित कार्य ऑनलाईन या E-mail के माध्यम से आवेदन समर्पित कर करायेंगे। यदि किसी कार्य हेतु कार्यालय में आना पड़े तो काउण्टर संख्या-1 पर आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्यालय कर्मियों के कार्य/व्यवहार से असंतुष्ट हो तो आर0टी0ए0 सचिव/आयुक्त के सचिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं, परन्तु किसी भी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कार्यालय में हंगामा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

**(vi) वाहन स्वामी श्री मनोज कुमार यादव द्वारा वाहन संख्या BR30E-8392 एवं BR30E-8279 के स्थायी परमिट हेतु आवेदन समर्पित किया गया है,** जिस पर वाहन स्वामी श्री प्रसून कुमार, पियुष ट्रैवल्स द्वारा आपत्ति किया गया कि उनके वाहन संख्या BR06PC-6218 के नवीकरण आवेदन अस्वीकृत हो जाने के कारण उक्त टाइम स्लॉट पर श्री मनोज कुमार यादव द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है। श्री प्रसून कुमार द्वारा नवीकरण आवेदन अस्वीकृति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है, परन्तु इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है। अतएव प्राधिकार द्वारा उक्त टाइम स्लॉट पर परमिट देने हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया।

श्री प्रसून द्वारा यह भी आपत्ति किया गया कि उक्त दोनों वाहन स्कूल बस है। प्रथम दृष्ट्या उक्त वाहनों के निबंधन पुस्तिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उनका निबंधन पीला रंग में हुआ है। परन्तु पीला रंग में निबंधित सभी वाहनों का स्कूल बस के रूप में निबंधन मान लेना युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि वाहन संख्या BR30E-8392 एवं BR30E-8279 के स्कूल बस के रूप में निबंधन की जाँच उसके निबंधन प्राधिकार जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी से करायी जाए।

आवेदक श्री मनोज कुमार यादव द्वारा उक्त दोनों वाहनों का परमिट स्वीकृत किये जाने पर एक सप्ताह के अंदर नयी बस से प्रतिस्थापन करा लिये जाने का आश्वासन दिया गया। पूर्व में आवेदक द्वारा प्राधिकार के आदेश का अनुपालन करते हुए लगभग नौ लाख रुपये जुर्माना की राशि जमा कर सरकार के राजस्व संग्रहण में सहयोग किया गया है। इस कृत्य हेतु प्राधिकार द्वारा श्री यादव, वाहन स्वामी की सराहना भी की गयी थी।

वहीं आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार, पियुष ट्रैवल्स पर लगभग 25 लाख रुपये जुर्माना बकाया होने के कारण प्राधिकार द्वारा उनके वाहन का नवीकरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था। प्राधिकार की बैठक में मौखिक निदेश के बावजूद आपत्तिकर्ता द्वारा कार्यवाही हस्ताक्षरित होने तक कुल 25 लाख जुर्माना जमा करने संबंधी कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। चूँकि आपत्तिकर्ता स्वयं डिफॉल्टर है, अतएव उनके आपत्ति को अमान्य करते हुए प्राधिकार द्वारा श्री मनोज कुमार यादव के अनुरोध के आलोक में सर्वसम्मति से वाहन संख्या BR30E-8392 एवं BR30E-8279 का आवेदन स्वीकृत करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि श्री यादव कार्यवाही के निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अंदर नया बस (निबंधन संख्या सहित) से प्रतिस्थापन करा लेंगे। साथ ही परमिट आवेदन शुल्क से एक हजार रुपये अधिक, अर्थात् प्रति वाहन कुल 11000=00 रुपये शुल्क भी उन्हें जमा करना होगा। यह व्यवस्था विशेष परिस्थिति में अपवाद के रूप में सिर्फ एक बार के लिए है; इसे परिपाटी नहीं बनायी जायेगी।

**(vii) वाहन स्वामी श्री सुमंथ सौरभ द्वारा वाहन संख्या BR06GF-9896 के स्थायी परमिट हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।** आपत्तिकर्ता श्री विकास कुमार एवं श्री अजय ठाकुर द्वारा आपत्ति किया गया कि शीत बसों के डायरेक्टर—श्री सुमंथ सौरभ एवं उनके परिवार पर लाखों रुपये का बकाया है। आवेदक पर बसों का निबंधन सीटर (साधारण बस) के रूप में कराने एवं स्लीपर बस (डीलक्स बस) के रूप में परिचालित कराने का आरोप था, जिसकी जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से करायी गयी। जिला परिवहन

8

पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-6632, दिनांक-28.12.2023 द्वारा नॉन स्लीपर का टैक्स जमा कर स्लीपर के रूप में परिचालित होने वाले 13 वाहनों पर लगभग 13 लाख जुर्माना किया गया है, जिसमें शीत बसंत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि० के अन्तर्गत परिचालित वाहनों पर किया गया जुर्माना निम्नवत् है:-

क्रमांक	वाहन संख्या	वाहन स्वामी	जुर्माना की राशि (रूपये में)
1	BR06PE-2396	शीत बसंत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि०	59264=00
2	BR06PE-2596	शीत बसंत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि०	86357=00
3	BR06PD-9796	श्री कैलाश मिश्रा	105822=00 + 4000=00 (पूर्व का लंबित)
4	BR06PD-9296	शीत बसंत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि०	95226=00
5	BR06PE-2296	शीत बसंत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि०	59264=00
6	BR06PD-1796	श्रीमती मिनी देवी	151125=00
7	BR06P-5296	श्री सुमंथ सौरभ	17000=00 (पूर्व का लंबित)
<b>कुल</b>			<b>578058=00</b>

प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शीत बसंत के डायरेक्टर-श्री सुमंथ सौरभ यदि अपने एवं अपने परिवार के नाम से निबंधित उपर्युक्त वाहनों पर अधिरोपित जुर्माना जमा कर कार्यालय में साक्ष्य/रसीद समर्पित करते हैं एवं जुर्माना लंबित रहने के बावजूद आवेदन करने के कारण 10000=00 रूपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करते हैं, तो उनके आवेदन पर विचार किया जायेगा। साथ ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उपर्युक्त जुर्माना जमा करने के पश्चात ही वाहन को नॉन-स्लीपर (साधारण बस) से स्लीपर (डीलक्स बस) में निबंधन की कार्रवाई करेंगे।

(viii) परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु:- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन नहीं किया जाता है एवं टाईम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी वाहनों का वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी। परमिट से आवृत वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सकें।

(ix) फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :- प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा सभी बसों के बीमा प्रमाण-पत्र की जाँच कराने का निर्णय लिया गया। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(x) अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों की जाँच करना :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि सभी वाहनों के टैक्स, फिटनेश, बीमा, प्रदुषण, परमिट आदि की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करें एवं सभी कागजात अद्यतन कराना सुनिश्चित करें।


अभी हाल ही में मध्यप्रदेश के गुना में बस और ट्रक में भिड़ंत के कारण 13 यात्रियों की मृत्यु हो गयी एवं 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये। उक्त बस बिना परमिट एवं फिटनेश के परिचालित हो रही थी। बस का टैक्स भी जमा नहीं था। सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए राज्य परिवहन आयुक्त,


8 27


संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित एवं लापरवाही बरतने वाले जिला परिवहन पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

अतएव प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों के कागजात की जाँच करायेंगे एवं एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकार को प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

  
वरीय उप सीमाहर्ता, राजस्व  
मुजफ्फरपुर।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
मुजफ्फरपुर।

  
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक.....01...../

मुजफ्फरपुर, दिनांक.....1.1.2024...../

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

12

संज्ञासूची प्रकाश प्रधिकार, मुजफ्फरपुर की कार्यवाही

दिनांक-27.12.2023 की कार्यवाही।

समय:-03 बजे अपराह्न से,

स्थान:-आयुक्त कार्यालय, सभागार (हाईब्रिड मोड से)

8 12 10

### कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक दिनांक-27.12.2023 की कार्यवाली।

पृष्ठ सं०

कार्यावली सं०-(1)	1	गत बैठक दिनांक 29.11.2023 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन	परिशिष्ट-I	14	14
कार्यावली सं०-(2)		प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।			
	(I)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट - (01 से 28 दिन) तक।	परिशिष्ट-II	15	15
	(II)	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन) तक।		15	15
	(III)	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)		15	15
	(IV)	जनता मालवाहक का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)		15	15
	(V)	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (एक वर्ष)।		15	15
	(VI)	प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण एवं स्थायी प्रतिस्थापन किये गये परमिटों की सूची।		16	17 तक
	(VII)	अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में संपुष्टि की प्रत्याशा में नामंतरित एवं रद्द किये गये परमिटों की सूची।		परिशिष्ट-III	18
कार्यावली सं०-(3)	(i)	बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-IV	19	51 तक
	(ii)	अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन पत्रों पर विचार।	परिशिष्ट-V	52	52

कार्यवली सं०-(1) परिशिष्ट-I गत बैठक दिनांक 29.11.2023 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन ।		
क्रमांक	कार्यवाही	अनुपालन
1	कार्यवाही (3) बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय ।	अनुपालन किया जा रहा है।

8 9/ 10

<p style="text-align: center;"><b>कार्यावली संख्या-2(I-V) परिशिष्ट-II</b>  <b>प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची:-दिनांक 27.11.2023 से 25.12.2023 तक।</b></p>	
1	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (01 से 28 दिन)-अस्थायी (विशेष) परमिट संख्या- BR2023-SPL-7655A तक।
2	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन)- अस्थायी परमिट संख्या - शून्य।
3	ऑटो रिक्शा/ जीप टैक्सी स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
4	जनता मालवाहक हल्का वाहन/मध्यम वाहन एवं भारी वाहन का स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
5	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (01 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।

8 1 2

कार्यावली संख्या-2 (VI) परिशिष्ट-II					
प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाडी के नवीकरण किये गये परमिटों की सूची।					
क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	वाहन संख्या /निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	नवीकृत परमिट की वैधता	अभियुक्ति
1	मे० आनन्द ट्रेवलस, प्रो०-आनन्द कुमार सिंह, पता-दादर, कोल्हुआ, अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PE-8216/ 26-11-2018	BR/106/SC/486/2008	26-10-2028	स्वीकृत।
2	मे० आलोक ट्रेवलस, प्रो०-आलोक कुमार सिंह, पता-शेखपुर, अश्राडाघाट, अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PD-5516/ 13-09-2017	BR/106/SC/578/2008	15-12-2028	स्वीकृत।
3	श्री कैलाश मिश्रा, पता-सामाकांत मिश्रा, पता-मेड़ियाही सोती, पो०-हरिदासपुर, थाना-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PG-9896/ 23-11-2023	0424/2023	01-10-2028	स्वीकृत।

8 7 2



प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन परमिट से आवृत वाहनों के प्रतिस्थापन की सूची।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	परमिट संख्या	परमिट पर आवृत वाहन संख्या	प्रतिस्थापित वाहन संख्या	अभियुक्ति
1	श्री कैलाश मिश्रा, पिता-शमाकांत मिश्रा, पता-भेड़ियाही शोती, पो०-हरिदासपुर, थाना-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर।	0424/2023	BR06PG-9896	BR06PA-4596	स्वीकृत।
2	श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह, पिता-स्व० धर्मदेव प्रसाद सिंह, निवास-दुर्गा मंदिर, शेरपुर, मझौली धर्मदास उर्फ नारायणपुर अनन्त, जिला- मुजफ्फरपुर।	0415/2010	BR06PF-9743	BR06PA-1796	स्वीकृत।
3	श्री जटाशंकर सिंह, पिता-हरिनाम सिंह, वार्ड नम्बर-11, भैंसालोटन, रामपुरवा, जिला-पश्चिम चम्पारण।	231/2019	BR06PC-4645	BR06P-9841	स्वीकृत।

8 7 12

कार्यावली संख्या-2(VII) परिशिष्ट-III				
परमिट नामान्तरित किये गये परमिटों की सूची:-				
क्रम सं०	परमिटधारी का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभ्युक्ति
1	नामान्तरित किये गये परमिट की संख्या-शुन्य।			

अध्यक्षीय आदेश के आलोक में रद्द किये गये परमिटों की सूची:-				
क्रम सं०	परमिटधारी का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभ्युक्ति
1	रद्द किये गये परमिट की संख्या-शुन्य।			

8 1 12

## कार्यावली संख्या-3(i) -- परिशिष्ट-IV

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं माह	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
1	श्रीमती. वीणा देवी, पति- श्री विजय सिंह, पता-हरदियाबाद, सिपरा, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी0आर0 05 पी. ए-6134	04.04.2016 माह-2016	मार्ग संख्या- 3527 मोहिहारी से बैरगनिर। भाया-दाका। प्रतिदिन तीन खेपे जाना आना। मोहिहारी प्र0-04.10, 11.02, 15.18 बैरगनिरा प्र0-06.01, 11.57, 18.54	वैधता- 19.03.2024 फिटनेस- 28.06.2024 इन्सुरेंस-08.02.2024 प्रदुषण- 25.08.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।		सॉफ्टवेयर में वी0 एल0 टी0 डी0 अब प्रदर्शित हो रहा है।	स्वीकृत।	
2	श्री जितेन्द्र कुमार, पिता- श्री सोनालाल प्रसाद, पता-काईरिया टोला, मैन रोड, रोना, टाकिज, खपरौल, जिला- पूर्वी चम्पारण।	बी0आर0 06पी. एफ. 3536	05.05.2022 माह- 2022	मार्ग संख्या 4783 रबसील से मोहिहारी। भाया-चमगढ़वा, सुनौली, छपवा। प्रतिदिन पांच खेपे जाना आना। रबसील प्र0-04.34, 16.49, 10.47, 14.30, 18.35 मोहिहारी प्र0-05.34, 08.22, 13.02, 17.08, 19.48	वैधता- 19.01.2024 फिटनेस-04.05.2024 इन्सुरेंस-02.05.2024 प्रदुषण- 11.05.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पष्ट है। आपत्ति अप्राप्त है।			स्वीकृत।	
	श्री मदन मोहन शर्मा, पिता- श्री भुवनेश्वर शर्मा, पता-रुन्नी सैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।	बी0आर0 06पी. सी. 2581	08.07.2014 माह- 2014	मार्ग संख्या-4821 - सीतामढ़ी से पटना। भाया-हुग्रा, लगना, प्रेमनगर बाईपास, रुन्नीसैदपुर, खनुआवाला, सिपरा घाट, छपवा, मुजफ्फरपुर बैरगनिर। मगवानपुर, सरैया, जतलौली घाट, लालगंज, सरैया, डालीपुर। प्रतिदिन दो खेपे जाना आना। सीतामढ़ी प्र0-04.08,15.20 पटना प्र0-07.08, 19.45	वैधता- 29.12.2023 फिटनेस-09.07.2024 इन्सुरेंस-25.08.2024 प्रदुषण- 24.08.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पष्ट है। आपत्ति अप्राप्त है।			स्वीकृत।	
3										स्वीकृत।

8/11/23

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आवृत्ति	आयुक्तिकर्ता के वाहन का दिवरण	अव्युक्ति	कार्यालय अध्यापित वाले वाहन का दिवरण	निर्णय
4	श्री गदन मोहन शर्मा, पिता-श्री 0 गुवनेश्वर शर्मा, पता-रुन्नी सैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।	बी0आर0 30पी.ए. -0381	07.08.2018 मॉडल-2018	मार्ग संख्या-3800 - सीमा से मुजफ्फरपुर। राया-बसंतपुर, पुनरिया, कुम्हार, धनकौल, परसीनी, अलसंड, कान्हेसैदपुर, जनार, कानाई, आपहें, न्यू किरुमाईल। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। सीमा प्रा०-05.25, 13.05 मुजफ्फरपुर प्रा०-09.58, 18.34	टेक्स- 05.02.2024 फिटनेस 03.08.2024 इन्सुरेंस-20.07.2024 प्रदुषण- 01.02.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आवृत्ति अप्राप्त है।		सॉफ्टवेयर में वी0 एल0 थ्री0 डी0 अब प्रदर्शित हो रहा है।		स्वीकृत।
5	श्री जितेश कुमार तिवारी, पिता-बालेश्वर तिवारी, पता-रधुनाथपुर वार्ड नं0 08, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी0आर0 22 पी. ए. -5745	19.07.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या -3814 - बगहा स्टेशन से चेतिया। राया-बगहा बाजार, बौतिया, परसीनी, लोरिया। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। बगहा स्टेशन प्रा० 06.51, 12.45, 18.14 चेतिया प्रा०-08.31, 13.55, 20.42	टेक्स- 28.02.2024 फिटनेस-18.07.2023 इन्सुरेंस-17.07.2024 प्रदुषण- 10.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आवृत्ति अप्राप्त है।		नक्शा एवं समय सारणी में अंकित दूरी भिन्न है।		नक्शा एवं समय-सारणी में अंकित दूरी भिन्न होने के कारण 5000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत।

8/11/23

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं माह	मार्ग एवं बगहा स्टेशन	दैनिक	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
6	श्री नरेन्द्र किशोर सिंह, पिता-हरेन्द्र किशोर सिंह, पता-बालीमित्रीनगर वार्ड नं० 03, जिला-प० चम्पारण;	बी०आर० डी पी, ए - 6545	05.08.2010 गोंडल-2009	मार्ग संख्या 3814 - बगहा स्टेशन से बेतिया। माया बगहा बजार, चैतख, मरखंकी, लौरिया। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। बगहा स्टेशन 5.0-07.11 1.16, 15.07 बेतिया 08-08.59, 13.04 10.46	दिवस - 02.02.2024 बिन्दन-26.10.2024 इन्चुंर-25.10.2024 प्रदुषण- 14.01.2024	शमश मन् के अनुसार वाहन पंजीक से अनुर है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री सुभाष चंद्र तिवारी, का कहना है कि वाहन संख्या बी आर 06 पी.ए. -6545 का रजिस्ट्रेशन 3 मई 2010 को हुआ इस अनुसार वाहन 13 वर्ष 7 माह का हो गया है, और अवेदन द्वारा, अपने पंजीक में बगहा स्टेशन से बेतिया के एकल दूरी 73 किलोमीटर तथा कुल दूरी 73x2=146 किलोमीटर दिखाया गया है, जबकि दस वर्ष के वाहन का माह का रिपॉ 400 किलोमीटर का परिचालन का आदेश है जो कि प्रत्येक प्राधिकार के बैठक के कार्यवाही में ल युक्त सह अध्यक्ष का निदेश दिया रहता है और वाहन- स्वामी द्वारा श्रमान के निदेश को नहीं माना गया है, प्राधिकार के कार्यवाही में निदेश दिया जाता है कि दूरी को सही सही लिखा जाए अर्थात् आदेश का आदेवन रद्द कर दिया जाएगा।	बी आर 06 पी.ए. -6545 दिवस- 02.02.2024 बिन्दन- 26.10.2024 इन्चुंर-25.10.2024 प्रदुषण- 14.01.2024	सॉफ्टवेयर में मार्ग संख्या-3814 - बगहा स्टेशन से बेतिया के बीच की दूरी 02 किमी है। आवेदन दूरी-62x2x3=372 किमी। अनुमान्य दूरी-400 किमी।		मार्ग एवं बगहा-स्टेशन में अंकित दूरी गिन होने के कारण 5000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत।
7	श्री मनोज शर्मा, पिता-शमशोष शर्मा, पता-नवलपुर। जिला-प० चम्पारण।	बी०आर० डी पी, -8002	01.08.2008 गोंडल-2009	मार्ग संख्या-4817 - मुजौना से बगहा स्टेशन। माया-मुंशिदाश, नवलपुर, बखरिया, रतदन, रजरतिया, खरनी। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। मुजौना 00 (09.10, 14.00 बगहा स्टेशन 00 11.00, 16.30	दिवस- 29.02.2024 बिन्दन-16.03.2024 इन्चुंर-20.01.2024 प्रदुषण- 31.12.2023	शमश मन् के अनुसार वाहन पंजीक से अनुर है। आपत्ति अभावा है। आवेदन का कहना है कि मुजौना से बगहा स्टेशन की दूरी 25 किमी है।		वाहन 15 वर्ष पुरानी है। अनुमान्य दूरी 100 किमी है। मार्ग संख्या-4807 - मुजौना से बगहा स्टेशन के बीच की दूरी 56 किमी है। एक ट्रेप की दूरी 56x2=112 किमी।		अस्वीकृत।

8/1/24

क्र. सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निजधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं सड़क सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
8	श्री दशरथ प्रकाश पाण्डेय पिता-अजाय कुमार पाण्डेय, पता-श्यामपुर, आदापुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी0आर 08 पी.ई. -3588	18.07.2019 मॉडल 2019	मार्ग संख्या-2861 रवसील से मोतिहारी। मार्ग-आदापुर, नरकटिया बाजार, लखौर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रवसील प्र०-04.34, 08.57, 10.30, 13.15, 16.51, 17.59 मोतिहारी प्र०-05.41, 07.37, 12.05, 14.31, 16.53, 19.09	टेक्स - 15.01.2024 रिटनेश-18.07.2024 इन्श्योरेंस-19.10.2024 प्रदुषण - 29.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अत्राप्त है।				स्वीकृत।
9	श्री अजय पाण्डेय, पिता-त्रिलोकी पाण्डेय, पता-श्यामपुर, आदापुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी0आर 08 पी. -3166	08.05.2007 मॉडल-2007	मार्ग संख्या-2861 रवसील से मोतिहारी। मार्ग-आदापुर, नरकटिया बाजार, लखौर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रवसील प्र०-06.37 मोतिहारी प्र०-12.58	टेक्स - 07.02.2024 रिटनेश-05.05.2024 इन्श्योरेंस-18.01.2024 प्रदुषण- 05.04.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन संवेद्य है। आपत्ति अत्राप्त है।		वाहन 15 वर्ष पुरानी है। अनुमान्य दूरी 100 किमी है। मार्ग संख्या-281 - रवसील से मोतिहारी के बीच की दूरी 65 किमी है। एक ट्रीप की दूरी 65x2=130 किमी।		अस्वीकृत।
10	श्री केदार सिंह, पिता-जोगेन्द्र सिंह, पता-सेखपुर, आखड़ाघाट, जिला-गुजफरपुर।	बी0आर 08 पी. सी.-0436	28.11.2013 मॉडल 2013	मार्ग संख्या- 4788 - सुगिया से गुजफरपुर, मार्ग- सिमहर, रश्मिनी, बीगपुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। सुगिया प्र०-04.30, 09.28, 14.50 गुजफरपुर प्र०-05.02, 13.00, 17.57	टेक्स- 26.02.2024 रिटनेश-20.04.2024 इन्श्योरेंस-24.11.2024 प्रदुषण- 31.12.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अत्राप्त है।				स्वीकृत।

8 1 2

क्र. सं.	आह्वान स्वामी का नाम एवं पूरा पता	आह्वान संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	भारत एवं समय सारणी	वैधता	आवेदन	आपत्तिकर्ता के आह्वान का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले आह्वान का विवरण	निर्णय
11	जय नॉ सीता, प्रो-विजय कुमार सिंह, पिस्ता-131, नियर किसान भवन, वार्ड नं० 05, छत्तीसी, जिला- शिवहर।	बी०आर० 06 पी.एफ. -7154	27.06.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-2407 पंचराही से बैरिया बस स्टैंड पर शिवहर, कुशहर, त्रियानी, भीरानपुर, जोरगाईल; प्रतिदिन चार खेप करना आना। पिपचाली प्र०-03.05, 06.52, 10.30, 14.47 बैरिया बस स्टैंड प्र०-05.16, 08.38, 11.51, 17.23	दिनांक- 25.12.2023 फिटनेस-28.08.2025 इन्शुरेंस- 28.08.2024 प्रमाण- 28.08.2024	आह्वान पत्र के अनुसार आह्वान परमिट ले जावत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री कौशल किशोर सिंह का कहना है कि प्राधिकार की श्रेष्ठ दिनांक 28.11.2023 के कार्यालयी संख्या 3(1) परिशिष्ट IV के क्रमांक-23 पर ेरा आवेदन जांच में लंबित है। - यह है कि आवेदनक द्वारा मेरे जांच आवेदन के 2 मिनट आगे का प्रस्ताव दिये है। - यह कि मेरा पूर्व से लंबित आवेदन का प्रथम छेप भुक्तभक्तपुर बैरिया बस स्टैंड प्रस्थान 08:40 पूर्वाह्न है। - यह आवेदन जांचकर्ता बैरिया बस स्टैंड प्रस्थान 08:38 पूर्वाह्न दिये है जो मेरे लिए अलाभकारी है। - अतः क्षमा के प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्णय लेने की कृपा की जाए।		आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर आह्वान संख्या बी.आर. 06 पी.एफ. -3438, परमिट संख्या बी.आर. 2022-एस०सी० 2380ए०, वैधता-09.11.2027 का निपराही में समय 10:31 है। समय अंतराल 1 मिनट है, जबकि 5 मिनट होना चाहिए।	बी.आर. 06 पी.एफ. -3438 दिनांक-20.03.2024 फिटनेस-15.04.2024 इन्शुरेंस 08.04.2024 प्रमाण-22.05.2024	तृतीय ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।

f m 2





क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आवृत्ति	आपत्तिपूर्वक के वाहन का विवरण	अधुना	कार्यालय अधुना के वाहन का विवरण	निर्णय
13	श्री मनोज कुमार यादव, पिता-रवि चन्द्रेश्वर राय, पता- भगवानपुर, धामा-सवर, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी0आर 80ई-8279	11.08.2012 गेट-2012	मार्ग संख्या 8509 मिहामंड से पटना। माया-सुरसंड, बदाहा, रघुनपुर, पुनरी, सूरपुर, महुआ, लुनीसैवपुर झण्ड, वीरपुर, पहलानपुर, च्यौरी, मंडल, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, सौरा, लालपुर, डालीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। मिहामंड गेट-04-53, पटना प्र0-12-59,	देवस- 18.02.2024 फिलनेश-12.06.2024 इन्सुरेंस-03.12.2024 प्रदूषण- 02.12.2024	शास्य पत्र के अनुसार कबन स्पेयर है। 1-आपत्तिपूर्वक-श्री प्रभु कुमार, 1. वाहन स्कूल बस है वाहन विवरण पुनरा एवं नयी दोनो संजमा है, अवलोकन किया जाय। 2. मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रोड ट्रान्स्पॉर्ट हाइवे के द्वारा वर्ष 2005 में प्रकाशित स्कूल बस रिक्त वाहने के कालम न0 3.1.1 में अंकित है कि ALL School buses must have External clour of Golden/yellow है। 3. सुप्रीमकोर्ट के नियो ज0 1997 (8) Scd page 770 एग0 सी0 गेडा, बना, युनियन ऑफ इंडियन एवं अन्य है, के अनुसार CAG एवं अन्य पत्र संस्था द्वारा जारी दिशा निदेश के अनुसार स्कूल बस का रंग पीला है। 4. वाहन विवरणी में स्पष्ट रूप से वाहन का रंग पीला अंकित है। आवेदक के आवेदन को सह किया जाय क्योंकि वाहन स्कूल बस है, एवं आवेदक को दखित किया जाय।		1. कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर. 06पी.ई.-5268, परगिट संख्या 266/2019 वैधता-05.09.2024 का मिहामोड में समय 04:54 बजे है। समय अंतराल 01 मिनट है, जबकि 05 मिनट होना चाहिए। मार्ग संख्या 3753 है। मार्ग संख्या अलग-अलग है। 2. आवेदक का कहना है कि वाहन संख्या बी.आर. 06पी.ई.-5268 का परिचालन अभी नहीं होता है। 3. आवेदक का कहना है कि आवेदित वाहन पर निबंधन स्कूल बस के रूप में नहीं है।	बी0आर 06 पीई-5268 देवस- 11.03.2024 फिलनेश- 14.12.2024 इन्सुरेंस- 17.01.2024 प्रदूषण- 03.08.2024	आवेदित वाहन को स्कूल बस के रूप में निबंधित होने के संबंध में जिला परिवहन प्रदाधिकारी, सीतामढ़ी से जांच कराये। वाहन स्वामी के अनुरोध पर एक सप्ताह के अंदर यथी उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन एवं परमिट शुल्क से 1000-00 रुपये अधिक अर्थात 11000 रुपये प्रति वाहन शुल्क जमा करने के हर्त पर स्वीकृत।  वाहन संख्या बी.आर.06पी.ई. 5268 के परिचालन के संबंध में जिला परिवहन प्रदाधिकारी से जांच कराये। टोल प्लाजा एवं वी.एल.टी.डी. रिपोर्ट प्राप्ति कर परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में परमिट रद्द करने की कार्यवाही करें।
14	श्री शिवदयाल पिता-झरीलाल राय, पता-महुआ राम राय, महुआ जिला- वैशाली।	बी0आर 06पी सी -3756	14.10.2014 नैडल-2014	मार्ग संख्या 413 डारन, डालीपुर से मुजफ्फरपुर, पता-महुआ, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। हनुमपुर 50-05:05, 08:40, 14:30, मुजफ्फरपुर गेट 08:45, 10:28, 16:28,	देवस- 08.01.2024 फिलनेश-04.01.2024 इन्सुरेंस-08.11.2024 प्रदूषण- 25.10.2024	रजपुर गेट के अनुसार कबन स्पेयर है।				स्वीकृत।

*(Handwritten signature)*

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुराना पता	वाहन संख्या	निर्देशन की तिथि एवं मॉडल	थार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आवृत्ति	आवृत्तियों के वाहन का विवरण	अवधि	कार्यालय अध्यागत जारी वाहन का विवरण	विवरण
15	श्री मनोज कुमार राय पिता-श्री शिवप्रयाल राय, पता-महुआ, एम राय, महुआ, जिला-वैशाली,	बी0आर, 31पी -5778	15.01.2013 मॉडल-2013	मार्ग संख्या-2803- पटौरी से मुजफ्फरपुर भाग- जन्दादा, महुआ, मरीचा। प्रतिदिन दोन खेप जाना आना। पटौरी प्र0-08:15, 11:25, 15:05, मुजफ्फरपुर प्र0-08:58, 12:56, 17:36,	टैक्स- 14.01.2024 फिटनेस- 19.01.2024 इन्श्योरेंस-08.02.2024 प्रदूषण- 20.01.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आदृत है। आवृत्ति अप्राप्त है।		आवृत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.06पी.एफ. -8649, परमिट संख्या बी.आर. 2023-एस0सी0-3162ए0, वैधता-03.11.2028 का पटौरी में समय 15:06 है। समय समान है।	बी.आर. 06 पी.एफ -8649 टैक्स- 10.12.2023 फिटनेस-18.09.2023 इन्श्योरेंस- 15.09.2024 प्रदूषण- 18.09.2024	तृतीय ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।
16	श्री मनोज कुमार राय, पिता-श्री शिवप्रयाल राय, पता-महुआ, एम राय, महुआ, जिला-वैशाली,	बी0आर, 30पीए 4210	30.04.2020 मॉडल-2018	मार्ग संख्या 2803- पटौरी से मुजफ्फरपुर भाग- जन्दादा, महुआ, मरीचा। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। पटौरी प्र0-05:30, 08:36, 12:20, 14:58, मुजफ्फरपुर प्र0-07:23, 11:04, 13:46, 17:09,	टैक्स- 08.01.2024 फिटनेस-28.04.2024 इन्श्योरेंस 18.04.2024 प्रदूषण- 22.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आदृत है। आवृत्ति अप्राप्त है।		आवृत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.06पी.एफ. -8649, परमिट संख्या बी.आर. 2023-एस0सी0-3162ए0, वैधता-03.11.2028 का पटौरी में समय 08:35 है। समय समान है।  सॉफ्टवेयर में बी.एल.टी.डी अत्र प्रदर्शित हो रहा है।	बी.आर. 06 पी.एफ -8649 टैक्स- 10.12.2023 फिटनेस-18.09.2023 इन्श्योरेंस-15.09.2024 प्रदूषण- 18.09.2024	द्वितीय ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।
	श्री अशोक कुमार चादव, पिता-श्री जय कुमार राय, पता- वार्ड न0 05 बखडीहा, तुर्की, जिला-वैशाली।	बी0आर, 06 पी एफ - 8012	30.09.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-4885, चिकनीला से परभा, भाया-पालेपुर, बरडीहा, कुसहर, महुआ, हाजीपुर, जहना, गदयाद, आमकुंआ, प्रतिदिन दो खेप जाना आना। चिकनीला प्र0-05:58, 14:10, पटना, प्र0-11:08, 17:03,	टैक्स- 24.03.2024 फिटनेस- 29.09.2023 इन्श्योरेंस-23.09.2024 प्रदूषण- 28.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आवृत्ति अप्राप्त है।				स्वीकृत।

8 7 2

क्र. सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	भारत एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अर्थात् वाहन का विवरण	निर्णय
18	श्रीत बसंत ट्रांसकोर्प प्राईवेट लिमिटेड। डायरेक्टर सुमंध सौरभ, पता-श्रीत बसंत प्रयुज सर्विस, कॉटी, कसबा, धाना-कॉटी, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी0आर.06 जी रफ -9896	28.09.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-4752, बेटिया रो पटना भावा लपवा, नौतिहरी, पिनकोटी, फल्गुपुर, इतिहा बाजार, साहेबगंज, नौतिपुर, मडना बाजार, कौटी, पलाबपुर, मुजफ्फरपुर, रामरसालु नगर, फकुली, जगतलीवाट, लालमन, सारन, हजारीपुर, प्रतिदिन 60 खेप जाना आना। बेटिया प्र०- 03:37, पटना प्र० 11:06,	देस- 27.03.2024 किटनेश- 27.09.2024 इन्चुरेंस- 26.09.2024 प्रदुषण- 27.09.2024	इस पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति उत्पन्न है। रजिष्ट्र पर आपत्ति के साथ 1. आपत्तिकर्ता श्री विशाल कुमार वस्ते एमबीए कुमार द्वारा आपत्ति दिये गये हैं कि पूर्व की बैठक दिनांक 16.01.2014 की कार्यवाही में इनके वाहन पर कर बकाया के कारण आवेदन स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 10.12.2014 को वेडक की कार्यवाही में सुनना शीघ्र एवं कार्यवाही के अर्थवाही के तहत से अपीलेशन (रीपेटिंग) कराया गया था। सुनत सीएम के परिचार द्वारा पूर्व से ही आशुटीकरण की शर्त तयि अच तक काम नहीं की गयी है। 2. आपत्तिकर्ता श्री अजय ठाकुर का कहना है कि श्रीत बसंत के डायरेक्टर सुमंध सौरभ एवं उनके परिवार पर लाखों रुपये का जुर्माना बकाया है।		आवेदक पर बसों का निबंधन सीटर में कराकर स्लीपर के रूप में परिचालित करने का आरोप है। आवेदक के कार वाले परियालित पेटनों को जांच कर जिला परिवहन महाधिकारी द्वारा कुल 578058-00 रुपये जुर्माना किया गया है।		आवेदक के बेनर वाले अधिरेपित जुर्माना कुल 578058-00 रुपये जमा करने तथा जुर्माना अति रहने पर भी आवेदन देने के कारण 10000-00 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के पश्चात् विचार किया जाएगा।
19	अश्वती बेगम, पति- मोतिहर सहमान, पता- वार्ड न०-04 कटमलिया, शिकारगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी0आर.06 पी ए-0688	07.12.2009 मॉडल-2009	मार्ग संख्या 4855, शिवहर से वैरगिनिया, भावा-पिपराही, जिहुली, पटपकडी, डाका, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। शिवहर प्र०- 04:22, 09:27, 14:07, वैरगिनिया, प्र०-08:52, 11:52, 17:34,	देस- 24.02.2024 किटनेश- 24.09.2024 इन्चुरेंस- 27.06.2024 प्रदुषण- 10.06.2024	इस पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अमान्य है। 2. रजिष्ट्र पर आपत्ति के साथ आपत्तिकर्ता शिवांगु कुमार एवं अश्वती कुमार द्वारा आवेदिद वाहन के स्कूल बस के रूप में परिचालित होने का आरोप लगाया गया है।		आवेदक का कहना है कि स्कूल प्रधान के आग्रह पर दो दिनों के लिए स्कूल बस में चलाया गया था।		भविष्य में दुबारा गलती नहीं करने के शर्त पर 10000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत।

8

11

12

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	तारीख एवं समय सारणी	तैय्यता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	जड़युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
20	श्रीमति शारदा प्रियदर्शिनी. पति प्रकाश चंद्र शिवारी, पता- बर्ड नं 05, दिधी कला वेस्ट, नई राष्ट्रीय रोड, हाजीपुर जिला- वैशाली, बिहार-844101, वर्तमान पता बार्ड नं-25, वसंत विहार कोलौनी, हरियाणा चौक, बेटिया, पं० चम्पारण, विहार 845438.	बीआर 08 पी.ई.-7781	15.02.2020 मॉडल-2019	मार्ग संख्या-3514 6451 स्टेशन से बेटिया, माच-बगहा बाजार, चौतरवा, परसोनी, लौरिया। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। बगहा स्टेशन प्र० 08:45, 07:39, 13:55, 18:34, बेटिया प्र० 05:10, 11:33, 16:12, 20:16.	डिक्ल- 29.01.2024 फिटनेस-17.02.2024 इन्सुरेंस-13.07.2024 प्रदूषण- 31.05.2024	समथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अज्ञात है। रजिस्ट्रार पर आपत्ति के समय आपत्तिकर्ता श्री विमलेश सिंह द्वारा आपत्ति दिया गया है कि आवेदक का वाहन शिवपानी के क्षेत्र वाले चलती है जिसका चलन संख्या बीआर.05पी.ए.-5525, परमिट संख्या-24/15 का बगहा स्टेशन प्र०-18:56 एवं बेटिया प्र०-18:11 है। जबकि आवेदक का वाहन स्टेशन प्र०-18:55 एवं बेटिया प्र०-18:10 है। इस तरह दोनों ही बिन्दु पर समय अंतराल 1 मिनट है।		वाहन संख्या बी.आर.05पी.ए.-5625, परमिट संख्या-24/15 सुरक्षित कर दिया गया।		स्वीकृत।
21	श्री अज्ञानंद शिवारी, पता-रवा विश्वनाथ शिवारी, पता-अरेराज, जिला पूर्वी चम्पारण।	बीआर 08 पी.ए.-1941	03.04.2010 मॉडल-2010	मार्ग संख्या-4728, अरेराज से मोतिलारी, माच सटियरिया, गांधीवाट, दुर्गाकालिया, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। अरेराज प्र०-05:47, 08:38, 11:34, 13:34, 16:17, 18:44, 20:25, मोतिलारी प्र०-07:06, 08:58, 12:08, 15:14, 18:11, 19:50, 23:01.	डिक्ल- 02.01.2024 फिटनेस-04.05.2024 इन्सुरेंस-07.09.2024 प्रदूषण- 01.06.2024	समथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अज्ञात है।		वाहन 10 वर्ष पुरानी है। अनुमान्य दुरी 400 कि० मी० है। आवेदित दुरी- 31x2x7=434 कि० मी० है।		सप्तम् दूरी कटाव के साथ स्वीकृत।

8

7

5

क्र. सं०	राशन कार्ड धारक का नाम एवं पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं अग्रिम सरकारी	तैयारी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
22	श्री गणेश कुमार, पिता-मोहन प्रसाद, पता-बवागीपुर जिराल, पो-मोतिहारी, थाना-छतानी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.08पी.ए.-8108	07.06.2011 नंबर-2011	मार्ग संख्या-3527, मोतिहारी से हेरिफिन्ट, माया डाका। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। मोतिहारी प्रो-03-25, 05-24, 12-58, 19-42 बैरगनिया प्रो-02-44, 09-24, 15-25, 20-45	टेक्स- 08.03.2024 फिटनेश-05.09.2024 इन्शुरेंस-01.05.2024 प्रदुषण- 21.08.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता श्री अभिषेक कुमार, परमिट संख्या-..... आवृत्त वाहन संख्या बी.आर.08पी.एफ.-7034, मार्ग-..... आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि डाका से हेरिफिन्ट के बीच की दूरी 16 कि०मी० प्रकाशन करता है जबकि वाहन की दूरी 17 कि०मी० है। अतः अनुदीप है कि वाहन बेनु को जंच रक्षित परमिट जारी हो करवाकर उचित निर्णय लेने को कृपा की जाए।	बी.आर.08पी.एफ.-7034 टेक्स-27.01.2024 फिटनेश-01.02.2025 इन्शुरेंस-31.01.2024 प्रदुषण-01.02.2024	गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।		स्वीकृत।
23	श्रीमती निमला देवी, पति-राजकिशोर सिधारी, पता-दरौवा-5, दिग्गो कला वेस्ट, नई गंडक रोड, हाजीपुर, जिला-बैंगाली।	बी.आर.06पी.ई.-5625	27.06.2019 मॉडल-2018	मार्ग संख्या-3814, बगल स्टेशन से मोतिवा। भाया-बगल बाजार, चौतरवा, नरसोनी, लीरिया। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। बगल स्टेशन प्रो-05-30, 08-25, 13-09, 17-31 बैरगनिया प्रो-07-15, 11-17, 15-54, 18-50	टेक्स- 26.02.2024 फिटनेश-23.08.2025 इन्शुरेंस- 03.12.2024 प्रदुषण- 14.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता श्री गेला कुनार, परमिट संख्या बी.आर.2023-एसओसी०-2764ए, आवृत वाहन संख्या बी.आर.06पी.ई.-8221, मार्ग-बगल स्टेशन से बैरगिया। आवृत्त संख्या प्रो-18-50 आपत्तिकर्ता बैरगिया प्रो-18-50, अंतराल 4 मिनट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि प्राधिकार के निर्देशानुसार ब्रैक बिन्दु पर 5 मिनट का अंतराल होना चाहिए। आवृत्त द्वारा 4 मिनट अंतराल का शपथ-रखने का प्रकाशन क्लबवा गया है जो मुझे तैयार करने के लिए से है।	बी.आर.06पी.बी.-8221 टेक्स-01.01.2024 फिटनेश-24.02.2024 इन्शुरेंस-03.08.2024 प्रदुषण-04.09.2024	<b>आपत्ति-1</b> कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.06पी.बी.-5625, परमिट संख्या बी.आर. 2022-एसओसी०-2688ए०, वैधता-19.12.2027 का बगल स्टेशन में रजिस्ट्रेशन 05-29 है। समय अंतराल 1 मिनट है, जबकि 2 मिनट होना चाहिए। परमिट स्ट्रेण्डर कर दिया गया है।	बी.आर.06पी.बी.-5625 टेक्स-20.11.2023 फिटनेश-27.02.2024 इन्शुरेंस-28.04.2024 प्रदुषण-31.05.2023	अन संख्या 05 को बैरगिया में समय 15:55 स्वीकृत होने के कारण तृतीय एवं चतुर्थ ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।
24	श्री अजय पाण्डेय, पिता-त्रिलोकी पाण्डेय, पता-श्यामपुर, आदानपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.05पी.बी.-9198	12.10.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-4783, मोतिहारी से रक्सौल, भाया-रूपवा, सुगीली, श्यामपुर। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मोतिहारी प्रो-05-25, 07-40, 10-31, 12-57, 18-51 रक्सौल प्रो-06-37, 08-43, 11-10, 16-17, 20-11	टेक्स- 26.02.2023 फिटनेश-11.10.2025 इन्शुरेंस-11.10.2024 प्रदुषण- 11.10.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अज्ञात है।	बी.आर.05पी.बी.-8709 टेक्स-06.01.2024 फिटनेश-05.10.2025 इन्शुरेंस-01.08.2024 प्रदुषण-08.10.2024	<b>आपत्ति-1</b> कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.05पी.बी.-6709, परमिट संख्या बी.आर. 2023-एसओसी०-3374ए०, वैधता-07.12.2028 का रक्सौल में समय 20:13 है। समय अंतराल 2 मिनट है, जबकि 5 मिनट होना चाहिए।		पंचम ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।

8 7 10

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निर्बंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	अपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
25	श्री अवधेश कुमार तिवारी, पिता-श्रीकांत तिवारी, पत्ता-बनरसिया, अरेराज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.06पी.ए. -6441	30.07.2016 मॉडल-2016	मार्ग संख्या-4728, अरेराज से मोरहाही, भाया-मोहाही, म.र.घाट, तुरकोलिया। प्रतिदिन नौ छेप जाना आना। अरेराज प्र०-05:34, 08:31, 11:27, 13:28, 15:55, 17:08, 18:32, 20:10, 21:52 मोहाही प्र०-07:49, 09:45, 11:59, 15:07, 16:26, 17:59, 19:20, 21:20, 22:28	टैक्स- 21.01.2024 फिटनेश-22.12.2023 इन्शुरेंस-01.05.2024 प्रदुषण- 09.06.2024	समय पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। अपत्ति अप्राप्त है।		सॉफ्टवेयर में बी0 एल0 टी0 डी0 अब प्रदर्शित हो रहा है।		स्वीकृत।
26	श्री जीतेन्द्र कुमार, पिता-राजकुमार सिंह, पत्ता-अनवरपुर, हाथीपुर, जिला-बैशाही।	बी.आर.05पी.ए. -5625	19.09.2015 मॉडल-2015	मार्ग संख्या-3814, बगहा स्टेशन से बेतिया, भाया-बगहा बाजार, चौतरवा, परसीनी, लीरिया। प्रतिदिन तीन छेप। जाना-आना। बगहा स्टेशन प्र० 07:11, 11:43, 15:45 बेतिया प्र०-09:31, 13:36, 18:59	टैक्स - 10.12.2023 फिटनेश-27.02.2024 इन्शुरेंस- 04.12.2024 प्रदुषण - 24.09.2024	समय पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। अपत्ति अप्राप्त है।		<b>आपत्ति-1</b> कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.05पी.बी.-5625, परमिट संख्या बी.आर.2022-एस07पी0-2666ए0, वैधता-19.12.2027, का बेतिया में समय अंतराल 5 मिनट है, जबकि 5 मिनट होना चाहिए। परमिट सरेण्डर कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर में बी0 एल0 टी0 डी0 प्रदर्शित नहीं हो रहा है।	बी.आर.06पी.बी.-5625 टैक्स-20.11.2023 फिटनेश-27.02.2024 इन्शुरेंस-26.04.2024 प्रदुषण-31.08.2023	पांच दिनों के अंदर बी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने एवं 10000=00 रुपये जुर्माना जमा करने के शर्त पर क्रम संख्या 05 को बेतिया में समय 09:31 स्वीकृत होने के कारण प्रथम ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।
27	श्री अवधेश कुमार तिवारी, पिता-श्रीकांत तिवारी, पत्ता-बनरसिया, अरेराज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.05पी. -6941	21.07.2012 मॉडल-2012	मार्ग संख्या-2848, रकसील से गलाही, भाया-रानाझवा, पुगीली, कुसी, हरकिन्ही, गोवाटार, अरेराज, शिरपी। प्रतिदिन दो छेप जाना-आना। रकसील प्र०-05:30, 15:12 गलाही प्र०-10:53, 17:30	टैक्स - 20.01.2024 फिटनेश-17.10.2024 इन्शुरेंस-26.11.2024 प्रदुषण- 01.06.2024	समय पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। अपत्ति अप्राप्त है।		वाहन 10 वर्ष पुरानी है। अनुमान्य दुरी 400 कि० मी० है। आवृत्त दुरी- 110×2×2=440 कि० मी० है।		द्वितीय ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं सड़क सारणी	दिखा	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अस्थुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
28	श्री अब्दुल्लाह शेख, पिता-मुर्तुजा शेख, पता-सिरिसिया बनकटावा, सिकटा, जिला-पश्चिम बंगाल	बी.आर.22पी.ए. -5554	24.06.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-2412 सिकटा से लालगढ़ गार्ड-बराबर, बैसाख, बैतिया। प्रतिदिन चॉच खेप काल काल। सिकटा प्रो-05:30, 08:04, 12:49, 14:56, 17:59 लालगढ़ प्रो-06:32, 10:59, 14:00, 16:19, 18:15	देख- 20.12.2023 फिटनेस-23.06.2025 इन्सुरेंस 20.06.2024 प्रदूषण- 23.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पष्ट है। आपत्ति उप्राप्त है।		आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.02ए.ए. -0927, परमिट संख्या बी.आर. 2023-एस0सी3-2901ए0, वैधता-08.10.2028, का लालचढ़ में समय 19:15 है। समझ लगान है।	बी.आर.02ए.ए.-0927 देख-18.02.2024 फिटनेस-10.10.2024 इन्सुरेंस-21.01.2024 प्रदूषण-02.08.2024	पंचम ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।
29	श्री शशुधन ठाकुर, पिता-रान अशीष ठाकुर, पता-मधील, नाधोपुर सुरता, झुंझनी, जिला-सुजफरपुर।	बी.आर.31पी.ए. -7940	08.03.2020 मॉडल-2020	मार्ग संख्या-3792, गटन से बैतिया, मादा-हाथीपुर, राशय, लालगढ़, जलकौलीस्ट, फडुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर, रोशन बागपुर, कांटी, नरनालवार, गंभीरीपुर, साहेबगंज, चक्रेश्वर, ब्रजपुर, कल्याणपुर, मिनाच कोठी, नोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप आना जाना। पटना प्रो- 08:19 बैतिया प्रो- 14:45	देख- 04.09.2024 फिटनेस-28.03.2024 इन्सुरेंस-09.02.2024 प्रदूषण- 29.01.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परीक्षण से आवृत्त है। 1-आपत्तिकर्ता श्री निर्मय कुमार, परमिट संख्या-..... ....., आवृत्त वाहन संख्या ..... आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि :- 1. आवेदक श्री शशुधन ठाकुर के परिवार में पूर्व से आर.पी.ए. के द्वारा समन की राशि जमा नहीं की गयी है, 2. श्रीमती गीता देवी, पति-शशुधन ठाकुर, वाहन संख्या-बी.आर.06पी.-6040 पर 17000/- रुपये का कर वकाया है, जो कि समझौता जमा नहीं किया गया था और कार्यालय द्वारा परमिट रद्द कर दिया गया। 3. पूर्व में इनके परिवार के लोगों पर जाली इन्सुरेंस का जॉच किया जा रहा है जिसका जॉच अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।		श्रीमती गीता देवी, पति- शशुधन ठाकुर द्वारा वाहन संख्या-बी.आर. 06पी.-6040 पर अधिरोपित 17000/- रुपये का जमाना जमा कर दिया गया है।		स्वीकृत।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निर्वाह की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
30	श्री उजय पाण्डेय, पिता-रामदयाल जाण्डेय, सेवराहा, पाण्डेय टोला, ग्राम-चोड-हरसिद्धी, जिला-पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	बी.आर.05पी. -7041	21.07.2012 गॉल-2012	मार्ग संख्या 4726, अरेराज से मोतिहारी, गाथा-दिवाखा, गाथकट, दुखौलिया। प्रतिदिन सात खेप जमा आता। अरेराज प्र०-05-27, 08-12, 11-01, 13-21, 15-41, 17-10, 18-14 मोतिहारी प्र०-07-41, 08-42, 11-36, 14-37, 16-13, 17-42, 18-00	टैक्स- 21.07.2024 फिटनेस-10.10.2024 इन्सुरेंस-21.02.2024 प्रदुषण- 01.06.2024	समय पत्र के अनुसार पहल परमिट से आवृत है। आपत्ति अज्ञात है।		वाहन 10 वर्ष पुरानी है। अनुमाना दुरी 400 कि० मी० है। आवेदित दुरी- $31 \times 2 \times 7 = 434$ कि० मी० है।		सप्तम द्रूप कटाव के साथ स्वीकृत।
31	श्री गिनय कुमार चौबे, पिता-स्व० विष्णु चौबे, पता-गाननपुर, धान-गोविन्दगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.05पी.टी. -6135	21.06.2022 नॉजल-2022	मार्ग संख्या-2910, नवलपुर से पटना, गाथा-बेरिहा, जगदोयानुर, महाडपुर, अरेराज, छाजुरिया, कोसरिया, देगरिया, चनेकपुर, ररैय, ल.लंगज, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जमा आता। नवलपुर प्र०-02-33 पटना प्र०-08-32	टैक्स- 14.03.2024 फिटनेस 20.06.2024 इन्सुरेंस-17.06.2024 प्रदुषण - 03.10.2024	समय पत्र के अनुसार पहल परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री सत्येन्द्र कुमार, परमिट संख्या-बी.आर.2023-एर०सी०-3-85ए. आवृत वाहन संख्या-बी.आर.08पी.ई-4101, मार्ग नवलपुर से पटना। आवेदक पटना प्र०-08-12 आपत्तिकर्ता पटना प्र०-08-13, अंतराल 1 मिनट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि अरेराज से छाजुरिया के बीच की दूरी 26 कि०मी० है जबकि 24 कि०मी० आवेदन में दिया गया है। जाने के क्रम में 24 कि०मी० दशांसा जाता है जबकि वापस में कही 24 कि०मी०, वहीं 26 कि०मी० दर्शाया जाता है। अतः इनका प्रकाशन रद्द किया जाए।	बी.आर.08पी.ई. 4101 टैक्स-15.02.2024 फिटनेस-26.08.2025 इन्सुरेंस-09.09.2024 प्रदुषण-02.07.2024	आपत्ति-1. कार्यालय अभिलेख से गिलान करके पर वाहन संख्या बी.आर.06पी.ई. - 4101, परमिट संख्या बी.आर. 2023-एस०सी०-3165ए. वैधता-03.11.2028, का पटना में समय 08:13 है। समय अंतराल 1 मिनट है, जबकि 2 मिनट लेना चाहिए।	बी.आर.08पी.ई. 4101 टैक्स-15.02.2024 फिटनेस-26.08.2025 इन्सुरेंस-09.09.2024 प्रदुषण-02.07.2024	समय टंकराव के कारण अस्वीकृत।




8 1 2



क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय शर्तों की	वैधता	अवधि	आधिकारिता के वाहन क्र. विवरण	अशुद्धि	कारणित्व अशुद्धि वाले वाहन का विवरण	निर्णय
32	श्री कमलेश यादव, पिता-शालदेव यादव, पता- भगवानपुर, मदर, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी.आर. 00बीए-6951	28.08.2011 मॉडल 2010	मार्ग संख्या 2468 सीवान, से शकील, भाया- गीरगंज, गोधलगाँव, महमदपुर, खजुरिया, मोतिहारी, छनवा, सुर्गावी। प्रतिदिन एक खेप जाना अर्थात्। सीवान, प्र०- 08.12 रविवार, प्र०- 11.50	दस्ता 26.12.2023 पिंटनेश-26.09.2024 इन्शुरेंस-25.04.2024 प्रदुषण- 05.11.2024	वाहन पत्र के अनुसार वाहन संख्या है। 1-आधिकारिता-श्री वर्कन प्रलास पान्देय चार-मिने देवी चहन साथ गैरवार एसी.एन-8230 फर्निचर का गैरवार 2021-एसी-26399 मार्ग- रकबील से मोतिहारी। आवेदन मोतिहारी प्र०-08.11 आधिकारिता मोतिहारी प्र० 08.12 वाहन नं. बी.आर. 00बीए 6951 1. अनाधिकृत का मुख्य बिन्दु मोतिहारी प्र०-08.12 से वाहन नं. 3 मार्ग है। क्योंकि से मोतिहारी मोल्ल रूप है। कार्यालय द्वारा रज समय अंतराल 5 मी. का उल्लंघन किया जा रहा है। 2. अधिकृत वाहन 12 साल 8 माह का है। परिवारिक पुर्ण मान्य नहीं है। 5 साल का वरिष्ठ देवी पर वाहन का चर 17 साल 5 माह का जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित परिवारिक का उल्लंघन हो रहा है। 3. आवेदन के आवेदन की रकम का गैरवार। 2-आधिकारिता-श्री देवेन्द्र कुमार चहन सं. बी.आर. 00बी.एन-7562 फर्निचर सं. बी.आर. 2023-एसी-2937ए मार्ग-सिक्का से रकबील। आधिकृत द्वारा खजुरिया से मोतिहारी की दूरी 41 कि०मी० दस्ता पर है जिसे वाहन 41 मिनट में तय करती है। जबकि खजुरिया से मोतिहारी की दूरी 40 कि०मी० है जिसे तय करने में लिए वाहन को 45 मिनट का समय चाहिए। उगी तरह महमदपुर से खजुरिया की दूरी 10 कि०मी० दर्शाया गया है जबकि महमदपुर से खजुरिया की दूरी 12 कि०मी० है। 3-आधिकारिता-श्री अदिनशा कुमार चहन सं. बी.आर. 00बी.जे-6339 फर्निचर सं. बी.आर. 2022 एसी.सी-2630ए मार्ग-साहेबगंज से मोतिहारी। प्रकाशित नाम वाहन पर आवेदन आधिकारिता का वाहन सं. वाहन सं. बी.आर. 00बी.जे-8230 का दर्शाया है मीठा रकबील परमिट सं. बी.आर. 2022-एसी.सी-2630ए है जिसका मार्ग साहेबगंज से मोतिहारी है मुझे आधिकारिता से निम्न आवेदन है। 1. आवेदनकर्ता मोतिहारी से खजुरिया प्र० 13.54 से बिस्म में वाहन का अंतराल है जबकि मोतिहारी पर उपस्थान बिन्दु प्रारंभिक है जिसमें कम से कम प्ले मिगट का अंतराल आवश्यक है।	बी.आर.00बी.एफ.-9796 दस्ता 02.03.2024 पिंटनेश-17.03.2025 इन्शुरेंस-02.03.2024 प्रदुषण-02.08.2024 बी.आर.00बी.एन.-7562 दस्ता-25.01.2024 पिंटनेश-25.07.2025 इन्शुरेंस-13.03.2024 प्रदुषण-25.07.2024 बी.आर.01बी.जे.-8039 दस्ता-12.02.2024 पिंटनेश 10.02.2025 इन्शुरेंस-03.02.2024 प्रदुषण-20.02.2024	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-308 दिनांक- 27 12.2023 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार - मोतिहारी से खजुरिया- 42.4 किमी खजुरिया से महमदपुर- 10.2 किमी मोतिहारी से खजुरिया के बीच की दूरी 41 मिनट में तय कर रहे है। गति- 62 किमी प्रति घंटा। गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है।	मोतिहारी से खजुरिया के बीच गतिसीमा के उल्लंघन के कारण। अस्वीकृत।	

8 7 2

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वेधता	आपति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
33	श्री दिलीप कुमार, शर्मा, पिता- रमेश टी0 डी0 शर्मा, पता-जोर्ड नं0 39, अखिल बिहार, कौलोनी, हरिवाटिका, चौक, बेतिया, जिला- प0 चम्पारण।	बी.आर.22पी.ए. -5065	15.04.2021 गॉडले 2021	मार्ग संख्या-3014- बगहा स्टेशन, से बेतिया, भाया-काछा, बजार, बंजरवा, परसीनी, लोरिया। प्रतिदिन डार खंम, जामा, शान्त, बगहा स्टेशन, प्र0- 03.16 08.59 10.32 14.59 बेतिया, प्र0- 05.29 09.08 13.04 17.15	दैनिक- 29.12.2023 फिटनेश-20.04.2025 इन्श्युरेंस-30.03.2024 प्रदुषण- 22.11.2024	समय पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आइत है। 1- आपत्तिकर्ता श्री दिनेश्वर सिंह चस्के-जमा देठ वाहन सं0 बीआर 06पी.सी-4445 परमिट सं0 बीआर 2083 एस.सी. 0848ए मार्ग-बालमिकीनगर गोल चौक से बेतिया। आपत्तिकर्ता ने आपति दिया है की वाहन सं0 बीआर 05पी.ए 5625 का बगहा स्टेशन से प्रस्थान 06.59 है एवं इन्हीं के बैनर पर चलने वाले वाहन सं0 बीआर 22पी.ए 5065 का बगहा प्र0 06.59 है। समय समान है। लन्क बैनर का नाम शिवदानी है। 2-आपत्तिकर्ता-श्री दिनेश्वर सिंह चस्के-अरुण कुमार शाही वाहन सं0 बीआर 22पी.ए-5065, परमिट सं0 बीआर/106/एस.सी./233/2019, मार्ग बेतिया से बस्मिकीनगर गोल चौक। आपत्तिकर्ता ने आपति दिया है कि वाहन सं0 बीआर 22पी.ए 5065 का बगहा से प्रस्थान 10.32 है, जो शिवदानी के बैनर पर चलती है। शिवदानी के बैनर तले चलने वाले अन्य वाहन सं0 बीआर 1पी.ए 0904 का बगहा स्टेशन प्र0 10.33 है। आवेदक चस्के एक निम्न आगे मार्ग सारणी का प्रकाशन कर रहे है। जो प्राधिकार के निर्णय प्रथम विन्दु पर पांच मिनट का उल्लंघन है।	बी.आर.06पी.सी.-4445 दैनिक-19.02.2024 फिटनेश-18.08.2024 इन्श्युरेंस-13.12.2024 प्रदुषण-03.09.2024  बी.आर.22पी.ए. 5065 दैनिक 29.12.2023 फिटनेश-20.04.2025 इन्श्युरेंस-30.03.2024 प्रदुषण-22.11.2024	वाहन सं0 बीआर 05पी.ए 5625 एवं वाहन सं0 बीआर 1पी.ए. 0904 का परमिट सरेण्डर कर दिया गया है।		क्रम संख्या 06 को बेतिया में समय 13:04 स्वीकृत होने के कारण तृतीय ट्रीप कटाय के साथ स्वीकृत।

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
34	श्री मोला कुमार, पिता-स्व0 आनन्द प्रकाश, पत्नी-वाल्मीकि 01, पुरानी, बाजार, नरकटियागंज, जिला-ग0 चम्पारण।	बी.आर.01पीसी-9221	21.12.2010 नॉर्डा 2310	वाहन संख्या-8814 बगहा स्टेशन, से बेनिया, मार्ग-रू हा, बाजार, चौराहा, परसीनी, बेनिया। प्रतिदिन तीन, छेप, जामा, शाना। बगहा स्टेशन, 40- 04.35 09.50 15.38 बेनिया, 40- 08.50 13.31 17.58	दिया- 20.03.2024 फिटनेस-12.05.2024 इन्सुरेंस-04.05.2024 प्रदूषण- 13.07.2024	वाहन को अनुसंधान समित से आपत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री चम्पारण चौराहा -अर्थात् निवासी बाजार -788, दिनांक 11.12.2023 (वाहन सं0 बीआर 01पीसी - 9221), मार्ग- बगहा स्टेशन से बेनिया। प्रकाशन जायक 788 दिनांक 11.12.2023 आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि- मात्र निवेदन यह है कि वाहन सं0 बीआर 01पीसी 9221 का एंजिन नं0 दिनांक 21.12.2023 को राज वाहन 13 वर्ष पूरी कर रही है और आवेदन क्षय जो प्रकार न में पूरी दिखाना गया है वो बगहा स्टेशन से बेनिया को एकदू दूरी 08.5 किगमी0 बताया गया है तो इस अनुसार कुल 68.8x6-412.5 किगमी0 हुआ और प्राथिक र के निर्णय के अनुसार 10 वर्ष पुराना वाहन को मात्र 400 किगमी0 तक ही परिपालन का आदेश है और आवेदक द्वारा बुक का ज्ञान नहीं रखा गया है साथ ही आवेदक का बेनिया से 44श जग में द्वितीय खेन बेनिया प्र0 13.31 है जबकि हमारे वाहन सं0 बीआर 01पीसी 9221 के स्थाई परमिट सं0 बीआर 2023 एस.सी.-0584ए बेनिया प्र0 13.34 है आवेदक ने मात्र तीन मिनट आने परमिट हेतु आवेदन किया है। जो कि अधिकार के द्वार मुख्य सिद्ध पर पाय मिनट अंतराल है। 2. साथ ही आवेदक का बगहा स्टेशन से बेनिया जाने क्रम में तुराव खेप बगहा स्टेशन 15.38 है जबकि हमारे वाहन सं0 बीआर 01पीसी 9221 के स्थाई परमिट सं0 बीआर 2023एस.सी.-0584ए बगहा स्टेशन 15.40 है आवेदक ने मात्र दो मिनट आने परमिट हेतु आवेदन किया है। 3. साथ ही आवेदक का बेनिया से बगहा जाने में बेनिया प्र0 08.50 है जबकि हमारे वाहन सं0 बीआर 01पीसी 9221 के स्थाई परमिट सं0 191/2019 बेनिया प्र0 08.51 आवेदक ने मात्र एक मिनट आने परमिट हेतु आवेदन किया है।	बी.आर.01पी.ए.-5625 टैक्स-17.01.2024 फिटनेस-15.06.2025 इन्सुरेंस-17.01.2024 प्रदूषण-05.06.2024  बी.आर.08पी.बी.-5625 टैक्स-03.02.2024 फिटनेस- 15.11.2023 इन्सुरेंस- 28.03.2023 प्रदूषण-24.09.2024  बी.आर.1पी.ए. 0804 टैक्स-31.01.2024 फिटनेस-15.06.2024 इन्सुरेंस-13.06.2024 प्रदूषण-13.12.2023	सॉफ्टवेयर में बगहा स्टेशन से बेनिया 62 कि0मी0 अंकित है। कुल आवेदित दूरी 62x2x3= 372 कि0मी0 है।  आपत्तिकर्ता के वाहन संख्या बी.आर. 08पी.बी.- 5625 का वी0एल0टी0डी0 सॉफ्टवेयर में अब प्रदर्शित है।  वाहन सं0 बीआर 1पी.ए. 0804 का परमिट सरेपडर कर दिया गया है।		आवेदन वापस लिया।

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

क्र. सं.	वाहन धारत्री का नाम एवं पुरा घटा	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अव्युक्ति	कार्यालय अव्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
35	श्री सितिक कुमार पिता-स्यो विजय, कुमार, पता- महुआ, गिहरख, गहुआ, जिला-वैशाली।	बी.आर.01एके-6257	06.11.2019 मॉडल 2019	मार्ग संख्या-2893- कच्चाहा से कान, गाथा-नरी, गहुआ, राजीपुर, प्रतिदिन, चार, खेप, जला, आना। जानाह प्रो- 08.40 10.39 13.21 16.22 पटना प्रो: 08.47 12.19 14.58 18.09	वैधता- 24.12.2023 फिटनेस-28.10.2025 इन्श्युरेंस-12.10.2024 प्रदूषण- 08.03.2024	अपत्ति पत्र के अनुसार स्पेयर है। आपत्ति अश्राप्य है।				स्वीकृत।
36	श्री सत्य प्रकाश श्रीमाली पिता-धर्मदेव भगत, पता-खिरिया घाट, चौतरिया टोला, वार्ड नं० 04, बेतिया, जिला- ए० उमरगढ़।	बी.आर.06पी.एफ.-6225	12.04.2023 मॉडल 2022	मार्ग संख्या-3814- कच्चा स्टेशन से बेतिया भाया- बगहा बजार, चौतरिया, परसीनी, लोरिया। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। बगहा स्टेशन प्रो- 03.29 08.19 12.49 15.34 19.16 बेतिया प्रो: 06.08 10.52 14.04 17.58 20.36	वैधता- 11.01.2024 फिटनेस-11.04.2025 इन्श्युरेंस-09.12.2024 प्रदूषण- 11.04.2024	अपत्ति पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता श्री दिनेश्वर सिंह पत्नी-दिपेन्द्र कुमार सिंह वाहन सं० बीआर 00पी.ए-2445 परमिट सं० बीआर 2021-ए.स.सं-1092ए मार्ग-बलमिर्गीनगर से बलुआ चौक। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति दिया है की आवेदक परसीनी से 13.22 में प्रो कर लोरिया 13.34 में पहुँच रहे है। जो 13 कि०मी० है जिसे 12 मिनट में तय किया जा रहा है। जबकि समय 18 मिनट चाहिये। साथ ही प्रकाशन ने लागमग समी बिन्दु पर कम समय में पहुँच कर दो मछादे के बीच का समय अधिक पेशाया गय. है। उस तरह आवेदक का प्रकाशन ही समय नहीं है, साथ ही परसीनी से लोरिया के बीच गति सीमा का उल्लंघन है। 2- आपत्तिकर्ता श्री प्रमोद ठाकुर वारंटे-रूणा दिल्ली सिंह वाहन सं० बीआर 22पी-8351 परमिट 159/2019 मार्ग-सही पकड़ी से बगहा स्टेशन प्रकाशित समय सारणी पर आपत्ति के संबंध में। नियेदन है कि वारंटी गाडी सं० बीआर 22पी. 8351 है। मार्ग सही पकड़ी से बगहा स्टेशन स्थायी परमिट से आवृत्त है जिसका बेतिया प्रो 06.07 प्रो. है। उपरोक्त वाहक ने अपने सत्य सारणी में बेतिया प्रो 08.08 प्रात: करदे है। जो गैरी गाडी से एक मिनट पीछे है। बेतिया मुख्य बिन्दु है।	बी.आर.06पी.ए.-2445 वैधता-13.01.2024 फिटनेस-04.09.2024 इन्श्युरेंस-12.01.2024 प्रदूषण- 14.12.2024  बी.आर.22पी.-8351 वैधता-27.02.2024 फिटनेस-13.12.2024 इन्श्युरेंस-28.11.2023 प्रदूषण-03.02.2024	परसीनी से लोरिया के बीच 13 कि०मी० की दूरी 12 मिनट में तय कर रहे हैं। गति 65 कि०मी० प्रति घंटा।		गति सीमा उल्लंघन के कारण आवेदन अस्वीकृत।

8 1 8




क्र. सं.	वाहन धारता का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	दौरा	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
37	श्री अमरेश राव, पिता-हारिका राव, पता-चन्द्रोल, नवलपुर, जिला- पठारम्यारण।	बी.आर.45पी.ई- -1438	27.02.2013 मॉडल 2012	मार्ग संख्या-8814 बगहा स्टेशन से बेतिया भाया- बगहा बजार, चौतरना, पररौनी, जोरिया। प्रतिदिन तीन ट्रेम जाना आना बगहा स्टेशन प्र०- 04.40 08.49 15.21 बेतिया प्र०- 08.15 12.46 17.21	टैक्स- 26.02.2024 क्रिडनेश-06.03.2024 इन्सुरेंस 26.04.2024 प्रदूषण- 04.10.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आपूर्त है। 1-आपत्तिकर्ता श्री दिनेश चक्ते-पूरा नुशार वाहन सं० बी.आर.06पी.ई-4845 परगिट सं० बी.आर.2021 इस.सं.-1511ए मार्ग-बगहा स्टेशन से बेतिया। आदेशक बगहा स्टेशन प्र०-04.40 आपत्तिकर्ता बगहा स्टेशन प्र०-04.44 अन्तगाल चर निरत। दोनों गाड़ों का मार्ग वही है लोकल रुट है। इसमें एक मिनट पर गाड़ी नहीं चलेगी साथ प्रधिकार का नियम है कि कुछ मिनट पर गांव मिनट का अंतराल होना चाहिए जबकि आदेशक ने गैरे चार मिनट अगरे प्रकाशन करदे है इसलिए इनके अवेतन को रद्द किया जाए।	बी.आर.06पी.ई-4845 टैक्स-29.12.2023 क्रिडनेश-19.01.2024 इन्सुरेंस-13.10.2024 प्रदूषण-01.08.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.22पी.ई-7801, परगिट संख्या बी.आर.2022-एस0सी0-0352ए0, विधवा-17.02.2027 का बेतिया में समय 06:15 है। समय समान है।	बी.आर.22पी.ई-7801 टैक्स-29.12.2022 क्रिडनेश-01.12.2023 इन्सुरेंस-30.06.2022 प्रदूषण-28.08.2023	प्रथम दृष्टि कटाव के साथ स्वीकृत।
38	श्री सुनील कुमार चौधरी, पिता-रवो विष्णु चौधरी, पता-मन्नापुर धाना, गोविन्दगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.05पी.ई- -5771	15.11.2021 मॉडल 2021	मार्ग संख्या-2910- नवलपुर से पटना गांधी- बेतिया, जगदीशपुर, पट्टापुर, अरेराज, खजुरिया, कंसरिया, देवरिया, मन्तिकपुर, जरीया, लालगंज, हाजीपुर। प्रतिदिन एक ट्रेम जाना आना। नवलपुर, प्र०- 00.30 पटना, प्र०- 17.38	टैक्स- 29.01.2024 क्रिडनेश-20.11.2025 इन्सुरेंस-05.11.2024 प्रदूषण- 31.05.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से अर्जुत है। 1-आपत्तिकर्ता श्री रमेश नुशार वाहन सं० बी.आर.06पी.ई-5807 आपत्तिकर्ता ने आपत्ति विधा है कि मार्ग सं०-2910 नवलपुर से पटना जाने के क्रम में आपत्ति है। निवेदन पूर्वक कहना है कि वाहन सं० बी.आर.05पी.ई-5771 पर आपत्ति है चूंकि पटना से नवलपुर जाने के क्रम में अरेराज से खजुरिया जो कि दूरी 26 कि०मी० है जबकि उन्होंने अरेराज से खजुरिया की दूरी 24 कि०मी० दिया है जो गलत है।	बी.आर.06पी.ई.- -5807 टैक्स 27.02.2024 क्रिडनेश-05.03.2025 इन्सुरेंस-03.03.2024 प्रदूषण-05.01.2024	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के फॉर्म 62 दिनांक 08.04.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खजुरिया से अरेराज की दूरी 24 कि०मी० है, जो 31 मिनट से तथ्य कर रहे है।  यदि सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।		स्वीकृत।

8 1 0

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पूरा पता	वाहन संख्या	निवृत्त की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
39	श्री चंदन कुमार सिंह, पिता: मुनोश्वर प्रसाद सिंह, पता-गेन रोड, रकसौल, महदेवा मार्केट, गिधर-बाटा श्री. कम, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.06, टी.जी.048	17.11.2023 मॉडल 2023	मार्ग संख्या-2856 रकसौल से वेतिया, भाया - रामगढ़वा, सुगौली, छपरा। प्रतिदिन रात खैप जाना आना। रकसौल 00- 05.07 08.16 10. 24 12.35 14.55 17.24 19.45 वेतिया, 30- 04.33 09.17 11. 27 13.48 16.51 19.40 20.55	टैक्स- 14.02.2024 फिटनेस 16.11.2025 इन्शुरेंस-14.11.2024 प्रदूषण- 16.11.2024	वाहन का कानूनार गहन चोर है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री अश्व कुमार गहन सं. बी.आर.22पी.ए. -5658 आपत्तिकर्ता ने आपत्ति दिया है कि आवेदक चंदन कुमार सिंह के पारिवारिक सदस्यों एवं उनसे महादेवापुरी रोड पर निम्नलिखित सवारी वस एवं स्कूल बसों पर राजपत्री कर वसूला है प्राथमिक के विद्यम के अनुसार कोई भी आवेदक या उनके परिवारजनों और उनके बंधों पर सरकार, वसूला जाने पर स्वामी स्वामी गाड़ी परफिट पर लेकर नहीं लिया जा सकता। 1. बी.आर.06पी. 1049 जो मुनोश्वर सिंह, चंदन सिंह के पिता के नाम से है का टैक्स, फिटनेस सभी फेल है। 2. बी.आर.06पी. 3657 जो मुनोश्वर सिंह, चंदन सिंह के पिता के नाम से है, का टैक्स, फिटनेस सकार्य है। 3. बी.आर.06पी. 3654 जो मुनोश्वर सिंह, चंदन सिंह के पिता के नाम से है, का फिटनेस एवं इन्शुरेंस फेल है हाथ ही इसका इन्शुरेंस पानी है फिर भी स्कूल बस में चल रहा है। 4. बी.आर.06पी. 3656, बी.आर.06पी.ए. 7166, बी.आर.06पी. 4245 महादेवापुरी रोड पर परिवारित होती है। ये सभी बसों स्कूल में चलती है, अर्थात् पर कर रखा गया है। 5. बी.आर.06पी. 0500 जो जयिका सिंह के नाम से है, सवारी गाड़ी का परफिट होने का फिटनेस, इन्शुरेंस फेल होते हुए स्कूल में चल रही है। 6. बी.आर.06पी. 2671, उषा देवी के नाम से है जो चंदन सिंह की माता है। उषा वाहन का फिटनेस, इन्शुरेंस फेल होते हुए सवारी गाड़ी परफिट पर चल रही है।	बी.आर.22पी.ए-5658 टैक्स-25.12.2023 फिटनेस 26.08.2025 इन्शुरेंस-25.09.2024 प्रदूषण-26.09.2024  बी.आर.06पी.ए-7166 टैक्स 28.01.2024 फिटनेस-13.08.2024 इन्शुरेंस-02.08.2024 प्रदूषण-03.07.2024  बी.आर.06पी.-4245 टैक्स-09.01.2024 फिटनेस-13.08.2024 इन्शुरेंस-19.01.2024 प्रदूषण 13.02.2024  बी.आर.06पी.-2671 टैक्स-25.12.2023 फिटनेस 30.09.2022 इन्शुरेंस-02.02.2023 प्रदूषण-12.03.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अगिलेख से मिलान करके पर वाहन संख्या बी.आर.22पी. -1558, परफिट संख्या बी.आर. 2022- एसजीडी-240243, वैधता-10.11.2027 का वेतिया में समय 13:49 है। समय अंतराल। मिनट है, जावकि 5 मिनट होना चाहिए।  आवेदक के वाहन सं. बी.आर.06पी. -1049 पर 38006 रुपये एवं बी. आर.06पी.-3657 पर 31350 रुपये जुर्माना लवित है।	बी.आर.22पी.-1558 टैक्स-27.08.2023 फिटनेस-16.02.2023 इन्शुरेंस-14.02.2023 प्रदूषण-10.11.2023	आवेदक एवं आवेदक के माता, पिता तथा पत्नी के नाम से निवृत्त बसों पर बैठक के समय जुर्माना लवित होने के कारण आवेदन अस्वीकृत।

8 7 2

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	भारत एवं सशम सारणी	दैनिक	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
40	श्री सौन्दर्य कुमार, मिता-रविन्द्रनाथ चौबे, पत्ता-गननपुर, थाना- गोविन्दगंज, जिला पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.05पी.के.-0427	26.02.2019 मॉडल 2018	मार्ग संख्या-2658 पटना, से खरौली, भाया- हाजीपुर, लासंगंज, वैशाली, सखरा, अम्बार, जाफरपुर, साहेबगंज, केसरिया, खजुरिया, अरेराज, हरसिद्धि, छपरा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना, प्रो- 05.32 खजुरिया, प्रो- 10.10	डैनिस- 04.02.2024 फिटनेस- 20.03.2025 इन्सुरेंस- 27.01.2024 प्रदुषण- 17.03.2024	शपथ पत्र के अनुसार परमिट से सड़क है। आपत्ति अग्रगत है।				स्वीकृत।
41	श्री सौन्दर्य कुमार, मिता-रविन्द्रनाथ चौबे, पत्ता-गननपुर, थाना-गोविन्दगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर. 05पी.के.-0794	09.04.2019 मॉडल 2019	मार्ग संख्या-2910 पटना से नवलपुर, भाया हाजीपुर, लासंगंज, सरीया, मनिक्पुर, देगारिया, केसरिया, खजुरिया, अरेराज, पहाड़पुर, जमदीशपुर, बेनिया। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्रो- 04.50 नवलपुर, प्रो- 09.45	डैनिस- 06.03.2024 फिटनेस- 20.03.2025 इन्सुरेंस- 05.07.2024 प्रदुषण- 08.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री सतेन्द कुमार, वाहन सं. बीआर05पी.एफ. 8807 आपत्तिकर्ता के आपत्ति दिया है कि वाहन सं. बीआर.05पी.के.-0794 पटना से नवलपुर जाने के क्रम में अरेराज से खजुरिया की दूरी 28 कि०मी० है जबकि उन्होंने अरेराज से खजुरिया की दूरी 24 कि०मी० दिया है जो गलत है।	बी.आर.05पी.के.-5837 टैक्स 27.02.2024 फिटनेस-05.03.2025 इन्सुरेंस-03.03.2024 प्रदुषण-05.03.2024	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 62 दिनांक 08.04.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खजुरिया से अरेराज की दूरी 24 कि०मी० है, जो 55 मिनट में आ कर रहे है। गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।		स्वीकृत।

अप्रैल 2023 के बैठक के लंबित आवेदन पर लिया गया निर्णय।

माह अप्रैल-2023 के कार्यवाही क्र. सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या शुल्क	मॉडल	निवेदन/संलग्न लेटर की तिथि	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
17	श्रीमति जयंती तिवारी, पति: सुभाष चन्द्र तिवारी पता-बसंत बिहार कॉलोनी, हरिवर्तिका चौक, बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण।	9000/ BR05PB- 5625 SC-41 (Seater)	2018	30-05-2019	मार्ग संख्या-3814 बगहा स्टेशन से बेतिया, भाया-बगहा बजार, चौतरवा, परसौनी, लौरिशा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना।  बगहा स्टेशन प्र०-06.46, 11.27, 16.20 बेतिया, प्र०-09.16, 13. 36, 18.31	Tax- 20-11-2023 CF- 27-02-2024 INS- 26-04-2024 PUC- 31-05-2023	इसके पत्र के अनुसार वाहन परामिट से आपत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री दिनेश वास्ते ध्रुव कुमार परमिट सं० BR2023-SC- 0758A, आवृत वाहन सं०-BR01PA- 2864 मार्ग-बगहा स्टेशन से बेतिया। आवेदक बगहा स्टेशन प्र०-11.27 आपत्तिकर्ता बगहा स्टेशन प्र०-11.29 अंतराल 2 मिनट। 1-आपत्तिकर्ता श्री अरुण गिरी परमिट सं० 139/2014 आवृत वाहन सं० BR05P- 4261 मार्ग-बगहा स्टेशन से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-09.16 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-09.19 अंतराल 3 मिनट।	BR01PA2864 Tax- 26-01-2024 CF- 05-12-2023 INS- 24-03-2024 PUC-05-05-2024 BR05P-4261 Tax- 17-01-2024 CF- 18-04-2024 INS- 11-05-2024 PUC-13-04-2024	(1) मार्ग का गुगल नक्शा संलग्न है। (2) जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 395 दिनांक 08.12.2023 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मार्ग संख्या 3814 एवं 3826 के बीच कॉमन रूट की कुल लम्बाई 52.5 कि०मी० है। कॉमन रूट 77 प्रतिशत है, जो 40 प्रतिशत से अधिक है।		प्रथम एवं द्वितीय ट्रिप कटाव के साथ आवेदन स्वीकृत।

/ / /



अक्टूबर 2023 के बैठक का लंबित आवेदन पर लिया गया निर्णय।

मह अक्टूबर- 2023 के जांचवाही का क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या शुल्क	मॉडल	नाम एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अन्युक्ति	कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
	श्रीमती हेमा देवी, पति-हरिशंकर झा, मन्ना बेदाभरद, जिला-सीतामढ़ी।	बी०आर ०६पी. एए-8568	15.09.2023 मॉडल-2023	नाम संख्या-2344 - हेल्सपब से सीतामढ़ी मध्य-पर्सोमी। प्रतिदिन छः छय जाना जानः।	टेक्स- 12.03.2024 फिटनेश-14.09.2025 इन्सुरेंस-13.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता-शीरेंद्र कुमार, वाहन संख्या-बी.आर.24पी-5912 प्रकाशन से	(1) बी०आर ०६पी. -5548 टेक्स- 27.01.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अनिलेश से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० ०६पी.र.	टेक्स- 07.03.2024 फिटनेश-18.09.2024 इन्सुरेंस-05.09.2022	
11				बेलशाह 40-06.33, 09.25, 11.30, 13.25, 15.00, 17.41 सीतामढ़ी 30 08.19, 10.32, 12.18, 14.20, 17.01, 18.21	प्रदुषण- 14.09.2024	आपत्ति दिया है। श्रीमती हेमा देवी पर पूर्व का टेक्स बकाया है जिसका विवरण निम्न है- (1) बी०आर ०६पी-5548 श्री हरिशंकर झा 27.04.2020 से बकाया। (2) बी०आर ०६पी-8119 श्री हेमचंद्र झा 31 08.2002 से बकाया। (3) बी०आर ०६पी-3611 श्री प्रभात चंद्र झा 14.08.2002 से बकाया। (4) बी०आर ०६पी-4425 श्री रविरेज्जुन कुमार झा फिटनेश 08.06.2023 से फेल। उपरोक्त के आलेख में अपनी हक बी०आर ०६पी-4425 जो गयाडी के हाथो बेचकर जुन दूधारे फव.डी से टेक्स फेल 420 (ग.अ) पोली) गाड़ी खरीदकर उस पर अवेध रज से बी०आर ०६पी- 4425 नम्बर लगाकर अवेध परिवालन कर रहे है।	फिटनेश- 27.07.2010 इन्सुरेंस नहीं प्रदुषण- 04.02.2024 (2) बी०आर ०६पी. -8119 टेक्स- नहीं फिटनेश-- 03.09.1992 इन्सुरेंस नहीं प्रदुषण- नहीं (3) बी०आर ०६पी. -3611 टेक्स नहीं फिटनेश- 14.11.1998 इन्सुरेंस- नहीं प्रदुषण- नहीं (4) बी०आर ०६पी. -4425 टेक्स- 08.02.2024 फिटनेश-05.12.2023 इन्सुरेंस-09.06.2024 प्रदुषण- 25.04.2024	-2630 परामिट सं०-692/2009 वैधता 07.12.2024 का सीतामढ़ी में समय 14:23 है। समय अंतराल 03 मिनट है, जबकि 05 मिनट होना चाहिए।  मोटरवाहन निरीक्षक, मुजफ्फरपुर के जौंच प्रतिवेदन के अनुसार वाहन संख्या बी.आर.०६पी-4425 के चेक्स से छेड़छाड़ की गयी है, जिसपर 5000 रुपये जुर्माना अधिरोपित है। वाहन संख्या बी.आर.०६पी.-8119 पर 68024=00 रुपये एवं बी.आर.०६पी. -3611 पर 68024=00 रुपये जुर्माना अधिरोपित हैं, जो चदन ट्रैवल्स के अंतर्गत परिवालित होती थी।	प्रदुषण- 15.02.2024	मोटरवाहन निरीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा अधिरोपित जुर्माना कुल 141048=00 रुपये जमा करने एवं जुर्माना लंबित रहने के बावजूद आवेदन करने के कारण 10000=00 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के पश्चात विचार किया जाएगा।

8 7 2

क्र. सं.	वाहन संख्या का नाम एवं पता	वाहन संख्या शुल्क	मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	आयुक्ति	कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
28	मोहम्मद कलाम चिंता-मोहम्मद इब्राहीम, पता-बरवा, रामगढ़वा, जिला-पूर्वी मजफरपुर।	बी0आर, 22 पीए-5855	27.09.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-2656, एनएल से देविवा बाया-रामगढ़वा, सुर्गवी, छगना, प्रतिदिन पॉस्ट खंग जाना आना। एफसीए प्र0-04.19, 07.08, 10.32, 13.29, 18.23, शिरोवा प्र0-06.30, 08.49, 11.32, 15.21, 18.25,	टैक्स 24.12.2023 डिटेन्श 28.09.2023 इन्सुरेंस-29.09.2024 प्रदुपग-26.09.2024	वाहन पर केंद्र नमूना नं. 61, केंवर है। 1-आपत्तिकर्ता-मोहम्मद, फर्नांड सं-बी0आर0222-SC-1059A। (अपूरु नं. 1) सं-बीआर 06 पी-6734 मार्ग-शरणाज को देवि। आवेदक- शरणाज प्र0-10.02. आपत्तिकर्ता- शरणाज 40-1501, अकला 01 निनर। जबकि प्रत्येक के निर्णय के अंतर्गत में आवेदक को भी समय से 2 निनर लेटे आवेदन करना चाहिये भा साथ ही अनेक गो कला, श्री दिजय कुमार, श्रीमती गाय देवी, श्री अजय कुमार एवं श्री रवि गुरुण प्रसाद एक ही बैर पर चलते हैं। किन्तु प्रत्येक वाहन के पीछे विद्यमान शिफ्ट, फुटिंग, पार्किंग बैर शिखरकर अलग अलग बैर दिखाना चाहते हैं। परन्तु रसी एक ही बैर पर चलते हैं। (समय के रूप में वाहन के पीछे का फोटोग्राफ संलग्न है) श्री अशि कृष्ण प्रसाद के नाम निबंधित नं 5 न संख्या बीआर0 08 पी-0487, श्रीमती चारु देवी के नाम निबंधित वाहन संख्या-बीआर0 09 पी-5641, एवं श्री विजय कुमार के नाम निबंधित वाहन संख्या- बीआर0 08 पी-992 के रसी का प्रस्ताव फिल है। सभी वाहनों पर अस्थायी का कर लगाया है। अधिकार का निर्णय है कि किसी भी बैर के तहत जो वाहन पर प्रभावी होने लख बैर के किसी वाहन के मरिटेड पर विचार नहीं किया जायेगा। 2-आपत्तिकर्ता-क। इनेत रा प्राप्त है जिसका chandansingh 8234@rediffmail.com, टै अवेदक के बैर पर पंजल से जुड़ना नकला है। निबंधित वाहन संख्या- बीआर0 08पी0-9821, बी आर0 05 पी0-4611, बीआर0 06 पी0-5821, एवं बीआर0 03 पी0-9187 और बीआर0 08 पी0-0017 है। जो एक ही बैर पर गाडी चलती है, रुदिया, बिकाफ सिटार, संख्या इत सभी निर या नाम दिया है, जिसका टक्स संख्या, मोमूर्ण, फल है।	बीआर 05 पी-5784 टैक्स 13.01.2024 डिटेन्श 11.09.2024 इन्सुरेंस-31.07.2024 प्रदुपग-03.09.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख रॉ मिलान करने पर वाहन सं0-बी0आर0 22पी-1556, परनेट सं0-बी.आर. 2022-एन.पी.-2402ए0, वैधता 10.11.2027 का रवसील में समय 18:23 है। समय समान है। आपत्ति आवेदन में अंकित वाहनों की जॉब जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से करायी गयी। आवेदक का कहना है कि आपत्ति आवेदन में अंकित वाहन उनके बैर के अन्तर्गत परिवारित नहीं होती है। वाहन संख्या बी.आर.08पी.-9921 का निबंधन दिनांक 14.11.2023 को रू है। हुआ है। प्राप्त आसूचनानुसार मोह कलाम अजय कुमार एवं विजय कुमार अपने वाहनों का परिवहन एक ही बैर के अंतर्गत करते हैं। श्री दिजय कुमार की बहन श्रीमती तारा देवी के नाम से निबंधित वाहन संख्या बी.आर. 06पी.-8841 पर 80830-00 रुपये जुर्माना लंबित है।	1. बीआर 22 पी-1556 टैक्स 27.09.2023 डिटेन्श -16.02.2023 इन्सुरेंस 14.02.2023 प्रदुपग-10.11.2023	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से विस्तृत जॉब प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

8  
7  
1

मह द्वन्द्व- 2023 के कार्यवाही का क्र. सं.	अज्ञेय स्वामी का नाम एवं पुरा यता	वाहन संख्या शुल्क	मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वेपथु	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अप्यक्ति	कार्यालय अभिधुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
24	श्री अजय कुमार पिता-कमलनाथ प्रसाद, पुरा-लक्ष्मीपुर, फौरिहार, जिला-पूर्वी बनारस।	बी0आर, 22 पी ए-5658	27.09.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-2656, स्वामी से वेपथु-सामरुवा, जुगौरी, छपरा, प्रतिदिन पौध खेप जाना आता। रखमाल 30-05:31, 08:20, 10:49, 13:39, 16:35, वेपथु प्र0-08:44, 09:30, 12:3, 15:21, 17:55,	दैनिक-25.12.2023 फिरने-26.09.2025 इचुरेस-25.09.2024 प्रदुपन 28.09.2024	वाहन पत्र के अनुसार नाम अज्ञेय है। 1-आपत्तिकर्ता-मोड कारिन, एरमेट सं बीआर2021-90-0177A। (आदत वाहन सं-बीआर 06 पी-6986 मार्च 2021 से वेपथु। आपत्तिकर्ता- वेपथु 30-17:55, आपत्तिकर्ता- वेपथु 30-17:55, अंतराल 01 मिनट। जबकि प्रतिकार के निर्णय के अलोक में सर्वदर को मेरे समय से 2 मिनट पीछे अपेक्षा करना चाहिए था। साथ ही अपेक्षा के अपने भाई श्री रवि शुभन प्रसाद पिता कमलनाथ प्रसाद का नाम निश्चित मॉडल संख्या बीआर 06 पी-0097 जो एक ही वैनर विकरा विहार से नाम से चलती है। दोनों वाहनों भाई है। तथा वाहन का स्वामी काकाजी की मान्य अर्थात् समाप्त तो चुकी है। वाहन नर 2023 से सरकार का संख्या रूपमा ले कर मकसद है। वाहन कर प्रसादी है। प्रतिकार का निर्णय है कि किसी भी वैनर को एहत जो वाहन कर प्रसादी होने एहत वैनर के किसी वाहन से परमिट पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः श्रीमान् से नाम निवेदन है कि अगामी 10क में उचित विचारोत्तर हो कोई निर्णय लेने को कृपा की जाये। इसके लिये श्रीमान् का आधा अक्षरी रहेगा। 2-आपत्तिकर्ता-का इमेल से प्राप्त है जिसका chandansingh1821@gmail.com, है। आवेदक के वैनर पर पहले से जुर्माल बंधावा है। जिसका वैनर संख्या-बीआर 06 पी0-9921। ही आर 05 ऐपी0-4621, बीआर 06	बीआर 06 पी-6986 टेक्स 13.02.2021 फिरने 30.11.2024 इचुरेस-24.11.2024 नदुपन-10.02.2024	आपत्ति आवेदन में अंकित वाहनों की जॉब जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से करायी गयी।  आवेदक का कहना है कि आपत्ति आवेदन में अंकित वाहन उनके वैनर के अन्तर्गत परिचालित नहीं होती है। वाहन संख्या बीआर.06पी.-9921 का निबंधन दिनांक 14.11.2023 को रद्द हो चुका है।  प्राप्त आसूचनानुसार मोड कलाम, अजय कुमार एवं विजय कुमार अपने वाहनों का परिचालन एक ही वैनर के अंतर्गत करते हैं। श्री विजय कुमार की बहन श्रीमती तारा देवी के नाम से निबंधित वाहन संख्या बी.आर 06पी. 5641 पर 60630=00 रूपसे जुर्माना लक्षित हैं।	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से विस्तृत जॉब प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा।	
						बी0-5041, एवं बीआर 06 पी0-5187 और बीआर 06 पी0-0097 है। जो एक ही वैनर पर माही चलती है, मुद्रेण, विपन्न विहार, सहैर। इत राभी वैनर का नाम दिया है, अक्षर टेक्स, इचुरेस, पीयूरी, फेर है।				

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

नवम्बर 2023 के बैठक के लंबित आवेदन

माह नवम्बर - 2023 के कार्यवाही का क्र. सं.	बाहरी स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैयक्त	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अनियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
22	अम्बिका ट्रेगल्स, प्रो० सी.म. सिंह, रोडपुर, अखाडाघाट, अदिसापुर, जिला- मुजफ्फरपुर।	बी०आर ०६ पी.ई.-1936	28.02.2019 मंडल-2019	मार्ग संख्या-2407, पिपराही से बैरिया बस स्टैण्ड भाया-शिवहर, कुरहर, परियाणी, नोनपुर, ओरोमाईल, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। फिर डी प्रो- 03/21, 07.04, 11.30, 16.30, बेरिया बस स्टैण्ड प्रो-05/30, 09.06, 13.24, 18.52,	दिवस-28.02.2024 फिटनेस-12.03.2024 इन्सुरेंस-13.02.2024 प्रदूषण- 20.11.2024 1 बी.आर.06पी.ए- 8900 टैक्स- 07.03.2024 फिटनेस-13.11.2024 इन्सुरेंस-22.11.2024 प्रदूषण- 14.07.2024 2.बी.आर.06पी.सी- 4756 टैक्स- 02.01.2024 फिटनेस-01.08.2024 इन्सुरेंस-18.11.2024 प्रदूषण - 14.07.2024 3.बी.आर.06पी.बी- 2053 टैक्स- 29.12.2023 फिटनेस-23.11.2024 इन्सुरेंस-10.11.2024 प्रदूषण- 14.07.2024 4.बी.आर.06पी.सी- 5748 टैक्स-29.01.2024 फिटनेस-03.08.2024 इन्सुरेंस-21.11.2024 प्रदूषण- 15.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से शर्त है। 1. आपत्तिकर्ता श्री केशव रिंठ, मरिच संख्या-BR2023-SC-3154A (आपत वाहन संख्या-बी.आर.06पी.बी-6286), मार्ग-पिपराही से बेरिया बस स्टैंड। आपत्तिकर्ता-नोट-आवेदित वाहन अम्बिका ट्रेगल्स के बोर्ड (बैनर) पर प्रचालित होती है। आम्बिका ट्रेगल्स के अनुरोध प्रचालित होने वाली गाड़ियों का इन्सुरेंस (बीमा) आती है जिसका नम्बर निम्नलिखित है- 1. बी.आर.06पी.ए. 8900 इस गाड़ी का इन्सुरेंस जाली है। कार का इन्सुरेंस है। इन्सुरेंस कौमी एवं पाटिकुलर इस आवेदन के साथ संलग्न है। 2. बी.आर.06पी.सी-4756 इस गाड़ी का भी इन्सुरेंस जाली है। कार का इन्सुरेंस है। इन्सुरेंस कौमी एवं पाटिकुलर इस आवेदन के साथ संलग्न है। 3. बी.आर.06पी.बी-2053 इस गाड़ी का भी इन्सुरेंस जाली है। इन्सुरेंस कम्पनी द्वारा कार का इन्सुरेंस बताया गया है। 4. बी.आर.06पी.सी-5748 इस गाड़ी का भी इन्सुरेंस जाली है। कार का इन्सुरेंस है। इन्सुरेंस कौमी एवं पाटिकुलर संलग्न है। फिर भी इन सभी गाड़ियों का परिचालन अम्बिका ट्रेगल्स के बोर्ड (बैनर) पर हो रहा है। इन सभी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाया जाय; और श्री मानु से निवेदन है कि इनके आवेदन को रद्द करने पर अम्बिका ट्रेगल्स के बोर्ड (बैनर) को ब्लॉकलिट करके दूर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए ताकि शान्ति में जारासाजी पर रोक लग सके।	बी.आर.06पी.बी. -8236 टैक्स- 09.02.2024 फिटनेस-20.04.2024 इन्सुरेंस-02.04.2024 प्रदूषण- 13.07.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.06पी.बी.-8236, परमिट संख्या-बी.आर.2023-एस.सी. -3154ए का पिपराही में समय 07:05 है। समय अंतराल 1 मिनट है, जबकि 5 मिनट होना चाहिए।  जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के जॉय प्रतियेक्षण के अनुसार वाहन संख्या बी.आर 06पी.ए-8900, बी.आर 06पी.सी-4756, बी.आर 06पी.बी- 2053, बी.आर 06पी.सी 5748, आरेटक के बैनर तले परिचालित नहीं होती है, जबकि विवश्रुतित ट्रेगल्स के अंतर्गत परिचालित होते है।	बी.आर.06पी.बी. -8236 टैक्स- 09.02.2024 फिटनेस-20.04.2024 इन्सुरेंस 02.04.2024 प्रदूषण- 13.07.2024	द्वितीय ट्रिप कटाव के साथ रवीकृत।

8

माह नवंबर-2023 के कार्रवाई का क्र. सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन संख्या	मॉडल	भारत एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकता के वाहन का विवरण	अनुचित	कार्यालय अधिसूचित वाले वाहन का विवरण	निर्णय
23	कौशल किशोर सिंह, पिता-राम बालक सिंह, पता-शेखपुर, अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	बीआर 06 पी.ए-7236	06.08.2011 मॉडल-2011	मार्ग संख्या-2407, पिपराही से बेरिया बस स्टैंड का रास्ता-शिवहर, कुवाहर, तरियानी, मीनापुर, जीरोमाइल, प्रतिदिन तीन ट्रेज चलाना। निमरहो- 30-06:50, 10:51, 14:55, बेरिया बस स्टैंड 30-08:40, 12:40, 17:34,	<p>09.02.2024 किरनेश-19.07.2024 इशुरेस-30.09.2024 प्रवृथण-12.06.2024 1.बी.आर.06पी.ए-8900 टैक्स- 07.03.2024 किरनेश- 23.11.2024 इशुरेस 22.11.2024 प्रवृथण- 14.07.2024</p> <p>2.बी.आर.06पी.सी-4756 टैक्स- 02.01.2024 किरनेश-01.08.2024 इशुरेस-18.11.2024 प्रवृथण 14.07.2024</p> <p>3.बी.आर.06पी.सी-2053 टैक्स- 29.12.2023 किरनेश-23.11.2024 इशुरेस 16.11.2024 प्रवृथण- 14.07.2024</p> <p>4.बी.आर.06पी.सी-5748 टैक्स-28.01.2024 किरनेश-03.08.2024 इशुरेस-21.11.2024 प्रवृथण- 15.07.2024</p>	<p>वाहन चक्र के स्तूपार वाहन परमिट से आवृण है। 1. आपत्तिकता- श्री केदार सिंह, परमिट संख्या-BR2023-SC-3154A (अनुचित वाहन संख्या-बी.आर.06पी.सी-8236), मार्ग-पिपराही से बेरिया बस स्टैंड। आपत्तिकता नोट-आपत्तिकता वाहन आधिका ट्रेमलस के वॉर्ड (बैनर) पर प्रशासित होती है। बाकिम ट्रेमलस के अंतर्गत प्रशासित होने वाली गाडियों का इशुरेस (सी.टी) जालो है जिसका नम्बर निम्नलिखित है:- 1. बी.आर.06पी.ए-8900 इस गाडी का इशुरेस जाली है। कार का इशुरेस है। इशुरेस को पी एवं पारिकुलर इस आवेदन के साथ संलग्न है। 2. बी.आर.06पी.सी-4756 इस गाडी का भी इशुरेस जाली है। कार का इशुरेस है। इशुरेस को पी एवं पारिकुलर इस आवेदन के साथ संलग्न है। 3. बी.आर.06पी.सी- 2053 इस गाडी का भी इशुरेस जाली है। इशुरेस कम्पनी द्वारा कार का मंजिसी वताया गया है। 4. बी.आर.06पी.सी-5748 इस गाडी का भी इशुरेस जाली है। कार का इशुरेस है। इशुरेस को पी एवं पारिकुलर इस आवेदन के साथ संलग्न है। फिर भी सभी गाडियों का परिचालन आधिका ट्रेमलस के वॉर्ड बैनर पर हो रहा है। इन सभी गाडियों के परिचालन पर रोक लगाया जाए। अतः श्री मन्त्र से निवेदन है कि कि इनके आवेदन को रद्द करते हुए आधिका ट्रेमलस के वॉर्ड (बैनर) को लोकलिस्ट करके हुए जचित कागुन करवाई करने को कृपा की जाए ताकि जालसाजी पर रोक लगा सकें।</p>	<p>बी.आर.06पी.सी-8236 टैक्स- 09.02.2024 किरनेश-20.04.2024 इशुरेस-02.04.2024 प्रवृथण- 13.07.2024</p>	<p>जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार वाहन संख्या बीआर 06पी.ए-8900, बीआर 06पी.सी-4756, बीआर 06पी.सी- 2053, बीआर 06पी.सी-5748, आवेदक के बैनर वाले परिवारित नहीं होती है, जबकि विशालित ट्रेमलस के अंतर्गत परिचालित होती है।</p> <p>मॉडल-2011 अनुमान्य दूरी-400 कि०मी० आवेदित दूरी-488 कि०मी०</p> <p>अनुमान्य दूरी का उल्लंघन हो रहा है।</p>		<p>चुतीय ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।</p>

8 7 2

माह वृत्तम्बर- 2023 के कार्यवाही का क्रम सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुराना पता	वाहन संख्या	मॉडल	कार्य एवं संस्था सारणी	दिनांक	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अव्युक्ति	कार्यालय अभिमुखित वाले वाहन का विवरण	निर्णय
27	श्रीमती वरिंका सिंह, पति-चन्द्रन कुमार सिंह, पता-मेन रोड, रक्सौल, जिला-पूर्वी चांपारण।	बी.आर.44पी. -3094	10.02.2015 मोडल-2014	मार्ग संख्या 2656, रक्सौल से बेतिया, साया-रमगढ़वा, पुर्वी, 89क। अतिरिक्त नीचे खोप जाना आत। रक्सौल प्र०- 04:14, 07:03, 10:49, 14:07, 16:34 बेतिया प्र०- 05:55, 09:33, 12:31, 15:15, 17:50	टेक्स-18.02.2024 फिटनेस-15.09.2024 इन्सुरेंस-03.09.2024 प्रदुषण-03.04.2024	रमग पत्र के अनुसार वाहन परमिट से अद्वितीय है। 1. आपत्तिकर्ता- श्री अजय कुमार, पश्चिम संख्या- ..... (अद्वितीय वाहन संख्या-बी.आर.22पी.ए. -5658), मरु- आवेदक- रक्सौल प्र०- 10:49 आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-10:49, अंतराल सेम समय। आवेदक- बेतिया प्र०- 12:31 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र० 12:31, अंतराल सेम समय। आवेदक रक्सौल प्र०- 10:34 आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-16:35, अंतराल 1 मिनट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि :- 1. आवेदक के अर्पण के आलोक में पिछली बैठक में इस वाहन के अर्पण पर जिला परिवहन निर्देशिका श्री गुणधर कुमार से जांचोपरांत निर्णय लेने में बाध स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय हुआ है। 2. आपत्तिकर्ता द्वारा गलत आपत्ति देकर उत्तर देकर, जानबूझ कर अपनी इस का रजि-समय का प्रस्ताव दिया है, जबकि पहले से चार दिनों पर सेम समय एवं 1 मिनट अन्तर का प्रस्ताव है। विवेक है कि मेरी इस के आवेदन जोच के बाद निर्णय लेकर सहित न्याय करने की कृपा करें। 3. आवेदक का बस फरवरी-2015 का है जिसका आयु 08 वर्ष 8 माह हो चुका है। संसकार निर्णय के अनुसार स्वीकृति देने की कृपा करें। प्रधिकार के निर्णय के अनुसार जवत नार्म गर 5 मिनट का अंतराल होना चाहिए।	बी.आर.22पी.ए.-6658 रक्षा-25.12.2023 फिटनेस-26.09.2024 इन्सुरेंस- 25.09.2024 प्रदुषण 26.09.2024			आवेदक एवं आवेदक के माता, पिता तथा पत्नी के नाम से निर्दिष्ट बसों पर बैठक के समय जूगाना लंबित होने के कारण आवेदन अस्वीकृत।





क्र.सं.	वाहन संख्या का नाम एवं पुरा पता	दाहक संख्या	मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आगति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
31	श्री प्रफुल्ल कुमार तिवारी, पिता श्रीकांत तिवारी, पता-सिकरा बेलवा, पोस्ट-महुर्डा, थाना-रामनगर, जिला-पश्चिम उत्तरप्रदेश।	बी.आर.05पी.बी.-6782	12.02.2015 मॉडल 2015	मार्ग संख्या-3814 बगहा स्टेशन से बेतिया, भाया-6487 बाला, चौतरवा, परसीनी, लौरिया। प्रतिदिन दो छेप जात अना। बगहा स्टेशन प्रो-01.09.14:00 बेतिया प्रो- 09.14, 17:38	टेक्स-09.01.2024 फिटनेस-22.02.2024 इन्श्योरेंस-10.02.2024 प्रदुषण-01.06.2024	रफ्तार पर के अनुसार वाहन नगमित हो जाऊंगा नहीं है। 1. आपत्तिकर्ता- श्री सुभाष चंद्र तिवारी वासे जयती रेवाणे, ज्ञानार्थ संख्या-238, दिनांक-13.04.2023 (आवृत्त वाला संख्या बी.आर.05पी.बी.-5625), मार्ग-बगहा स्टेशन से बेतिया। आ-ति.वर्ता से आगति में लि.उ. है लि. - 1. वाहन संख्या बी.आर.05पी.बी.-6782 का परफिट हेतु प्रकाशन दिनांक 10.11.2023 को हुआ और श्रीमान आधुक्त-रह-अध्यक द्वारा कार्यवाही में नंबर 5 के (V) में पहले आगे-पहले पाओं के निगम के आधार पर प्रतिकार में हमारे वाहन संख्या बी.आर.05पी.बी.-5625 का आवेदन दिनांक-238 दिनांक-13.04.2023 के प्राधिकार की श्रेष्ठ दिनांक 08.05.2023 के कार्यवाही के क्रमांक 7 पर जिला परिषद प्रदाधिकारी, पश्चिम उत्तरप्रदेश, बेतिया से मार्ग संख्या 3814 एवं 3825 सत्यापन के परस्तात एवं निगम से मानदखान प्राप्त होने पर बिहार क्रि. जाया जिल्ला के कारण आवेदन निरस्त है, निगम बेतिया से बगहा स्टेशन जाने के क्रम में प्रथम छेप में बेतिया प्रस्थान 09:16 है। जटिल होने के कारण वाहन संख्या बी.आर.05पी.बी.-6782 का बेतिया से बगहा स्टेशन जाने के क्रम में बेतिया प्रस्थान 09:14 किया गया है। उक्त बिन्दु मुख्य बिन्दु है और 5 मिनट का समय अंतराल जकांत है। ये निगमानुसृत नहीं है। आवेदन एवं अन्य प्रकाशन में एक स्टेशन से दुसरे स्टेशन जाने के क्रम में कितना समय लागता है, उसका ज्ञान नहीं किया है, साथ ही परसीनी से लौरिया की दूरी 10 कि०मी० बताया है जबकि परसीनी से लौरिया के बीच की दूरी 13 कि०मी० है। बगहा स्टेशन से बेतिया जाने के क्रम में चौतरवा से परसीनी की दूरी 5 कि०मी० बताया है और परसीनी से बगहा जाने में 7 कि०मी० बताया है। उक्त अनुशेष है कि उक्त बिन्दु पर विचार करते हुए आवेदन रद्द कर दिया जाए।	बी.आर.05पी.बी.-5625 दिनांक-20.11.2023 फिटनेस-27.02.2024 इन्श्योरेंस-26.04.2024 प्रदुषण-31.05.2023	1. समय-साराणी में दो पड़ाव के बीच लगने वाला समय अंकित नहीं है। आपत्तिकर्ता के वाहन का वी.एल.टी.डी. सी.पी.टी.डी. में प्रदर्शित नहीं है।	समय-साराणी में दो पड़ाव के बीच लगने वाला समय अंकित नहीं करने के कारण 5000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत। आपत्तिकर्ता- श्री सुभाष चंद्र तिवारी के वाहन संख्या बी.आर.05 पी.बी. 6825 का वी.एल.टी.डी. सी.पी.टी.डी. में प्रदर्शित नहीं होने के कारण 10000 रुपये जुर्माना अधिरोमित। यदि आपत्तिकर्ता पाँच दिनों के अंदर जुर्माना जमा नहीं करते हैं तो उनका परफिट निलंबित कर दिया जायेगा।	

8 10

गाह नमबर-2023 के कार्यवाही का क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	दैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
40	श्रीमति जयंती तिवारी, पति-सुभाष चंद्र तिवारी, पता-बार्ड न० 05, दिही कला टेरट, नई गंडक रोड, हाजीपुर जिला- वैशाली। वर्तमान पता-शिवदानी रोडवेज, न्यू बस स्टैंड, बेतिया।	बी.आर.05पी. -5825	18.04.2016 मॉडल 2016	मार्ग संख्या 3814- बगहा स्टेशन से बेतिया भाया- बगहा बेताद, बीतारवा, परसौनी, बेतिया। प्रतिदिन चार डेप जान आता। बगहा स्टेशन प्र०- 04.05, 08, 12, 12.13, 15.45 बेतिया 40- 05.57, 10.11, 13, 55, 18.31	देक्स-17.01.2024 फिटनेस-15.06.2025 इन्श्योरेंस-17.01.2024 अनुपम-05.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परन्ट से आवृत्त है। आपत्ति अग्रस्त है।				वाहन संख्या बी.आर.05पी. बी.-5825 का बेतिया में समय 18:31 स्वीकृत होने के कारण चतुर्थ ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।



माह नम्बर- 2023 के कार्यवाही का क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय असियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
41 (1/2)	श्री आदित्य कुमार मिता- 18वें नारायण, श्रीवास्तव, पता-बेडी स्थान, वार्ड न० 34, बगहा जिला-- प० घम्मारण।	बी.आर.22पी.ए.-5845	18.07.2023 मॉडल 2023	मार्ग संख्या-3814- बगहा स्टेशन से बेतिया याथा- बगहा बजार, चौतरवा, परशोनी, लौरिया। प्रतिदिन वार खेप करना। बगहा स्टेशन प्र०-02.48, 06.44, 12.14, 16.20 बेतिया प्र०-04.42, 09.27, 13.59, 18.19	टैक्सा-14.01.2024 फिटनेस-17.07.2024 इन्सुरेंस-17.07.2024 प्रदुषण-17.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पष्ट है। 1-आपत्तिकर्ता श्री सुभाष चंद्र तिवारी, वास्तु जयपती तिवारी ज्ञापांक -288, दिनांक-13.04.2023 (ग्राहक सं० बीआर 05पी.सी- 5825), मार्ग- बगहा स्टेशन से बेतिया। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि- 1. वाहन सं० बीआर 22पी.ए.- 5845 का परीष्ठ हनु प्रकरण नं० दिनांक 10.11.2023 का हुआ और श्रीमान आयुक्त सह अख्य द्वारा कार्यवाही में न० 115 के (VI) में पहले आज्ञा पहले पत्रों के नियम के आधार पर प्राधिकार में हमारे वाहन सं० बीआर 05पी.सी.-5825 का अवेदन ज्ञापांक 238 दिनांक 13.04.2023 के प्राधिकार की वेबसाइट दिनांक 08.05.2023 के कार्यवाही के क्रमांक 17 पर निर्णय किया परंतु वाहन सं० बीआर 22पी.ए.-5845 के प्रस्ताव प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष से मार्ग दर्शन प्रथा होने पर विचार किया जायेगा कि इसके कारण में आवेदन खंडित है। जिस में बगहा स्टेशन से बेतिया जाने के कम में प्रथम खेप में बेतिया प्रस्थान 06.48 है जबकि वाहन सं० बीआर 22पी.ए.-5845 के आवेदन में बगहा स्टेशन से बेतिया जाने कम में द्वितीय खेप में बेतिया प्रस्थान 06.44 दिया गया है जो गलत है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार पांच मिनट का स्टाट मुख्य बिंदु पर देना अनिवार्य है। 2. आधिकार द्वारा प्रथम खेप में लौरिया से बेतिया जाने के क्रमांक लौरिया प्र० 04.03 में सुलकर बेतिया 04.38 में पहुंचते है जिसमें समय 35 मिनट लगता है। लेकिन आवेदन 40 मिनट का देना किने हुए है जो गलत है।	टैक्सा-20.11.2023 फिटनेस-27.02.2024 इन्सुरेंस-26.04.2024 प्रदुषण-17.07.2024	1. लौरिया से बेतिया के बीच लगने वाला समय चुट्टिपूर्ण अंकित है। गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। 2. चक्का एवं समथ-सारणी में दूरी मिनट है।		लौरिया से बेतिया के बीच लगने वाला समय चुट्टिपूर्ण अंकित करने एवं चक्का तथा समथ-सारणी में दूरी मिनट अंकित होने के कारण 5000 रुपये जुर्माना जमा करने के शर्त पर वाहन संख्या बी.आर.31पी.ए.-5625 को बगहा स्टेशन में समय 12:13 एवं बी.आर.05पी.सी.-5825 को बगहा स्टेशन में समय 16:20 स्वीकृत होने के कारण चुट्टिपूर्ण एवं चतुर्थ ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।

8 7 10

वाहन नंबर-2023 के कार्यवाही का क्रम सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	मॉडल	नाम एवं समय सारणी	वैधता	आवृत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
41 (2/2)	श्री आदित्य कुमार, पिता-हृदय नारायण, श्रीवास्तव, पता-चंडी स्थान, बार्ड 310 34, बगहा जिला- ए० सम्भारण।	बी.आर.22पीए. -5845	18.07.2023 मॉडल 2023	नाम संख्या-3814- बगहा स्टेशन से बेतिया राधा- बगहा बाजार, चौतरवा, परसोनी, लौरिया। प्रतिदिन चार खेज जला जाता। बगहा स्टेशन 40-0248, 06, 44, 12.14, 18.20 बेतिया 40-0442, 08.27, 13, 59, 18.19	दिवस-14.01.2024 फिटनेस-17.07.2025 इन्श्योरेंस-17.07.2024 प्रभुधाम-17.07.2024	03. वाहन स्वामी द्वारा बर बर गलत किलोमीटर विशुद्ध तथा समय सारणी में भी गलत अंकित कर आवेदन किया गया है। जबकि कार्यवाही 05 के (पि) में स्पष्ट किया गया है कि बरा पटव की दूरी की दुरी सही तथा तय करने के समय सही सही हो अन्यथा आवेदक का आवेदन रद्द किया जायेगा। अभ्युक्त सितम्बर माह में भी आवेदन में गलत अंकित किया गया उसमें लागे वाले समय में भी गलत लिखा गया जैसे श्रीमान आयुक्त सह अध्यक्ष ने बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बगहा स्टेशन से बगहा बाजार की दुरी 5 किलोमीटर चौतरवा से परसोनी की दुरी 6.8 कि०मी० तथा परसोनी से लौरिया की दुरी 13 कि०मी० जिला परिवहन नवाधिकारी के जाँच के बाद का निर्णय रखा गया तब भी पुनः वाहन सं० बीआर22पीए, 5845 का प्रकाशन में चौतरवा से परसोनी के बीच के दुरी 6.08 कि०मी० के जगह 08 कि०मी० अंकित किये हैं। पुनः परसोनी से लौरिया की दुरी 13 कि०मी० के जगह 14 कि०मी० अंकित किये हैं। इसके पूर्व वाले आवेदन में इन दोनों के मीटर श्री दिनेश्वर सिंह ने जो किलोमीटर बगहा स्टेशन से बेतिया का दिशा उ०.मे 71 कि०मी० दर्ज किया गया इसका वो 73 कि०मी० अंकित किये से जो पूर्ण रूप से गलत है।				

8 7 1

साह नं.पं.सं.सं. 2023 के कार्यवाही का क्र.सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
43	श्रीमती राबिता देवी, पति-गंडू यादव, पता-वार्ड नं० 31, रतनमाला, बगहा, जिला-प० चम्पारण।	बी.आर.22पीए -5832	15.09.2023 मॉडल 2023	नं.सं.सं.सं.-3814- बगहा स्टेशन से बैतिया भावा- बगहा शांकर, चौतरवा, परसौनी, तांरिया। प्रतिदिन चार खप जाना आना। बगहा स्टेशन प्र०- 08.01, 11, 49, 16.19, 20.20 बैतिया प्र०- 09.27, 14.00, 18, 38, 22.30	वैधता-13.09.2024 किटनेश-14.09.2025 इन्सुरेंस-14.09.2024 प्रदुपण-14.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री दिनेश्वर सिंह वारते- उषा देवी वाहन सं० बीआर 08पीसी-4445 परमित सं० बीआर 2023-एसी-0848ए मार्ग- बास्मिकीनगर गोल चौक से बैतिया। आवेदक द्वारा प्रकाशित समय सारणी में परसौनी से चौतरवा एवं चौतरवा से परसौनी की दुरी 6 08 कि०मी० दर्शाया गया है। जबकि चौतरवा से परसौनी की दुरी 8 कि०मी० है। नक्शा एवं दुरी प्रमाण पत्र संलग्न है। इस तरह यह गति सीमा के उल्लंघन का विषय है।	बीआर 08पी. सी-4445 टैक्स-19.02.2024 किटनेश-18.06.2024 इन्सुरेंस-13.12.2024 प्रदुपण-03.09.2024	1. जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार परसौनी से चौतरवा के बीच की दुरी 8.8 कि० मी० है।		वाहन संख्या बी.आर. 22पी.ए.- 5845 का बैतिया में समय 09:27 एवं बी. आर.05पी.बी.-5825 का बगहा स्टेशन में समय 16:20 स्वीकृत होने के कारण प्रथम एवं तृतीय ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।

8

7

2

## कार्यावली संख्या-3(iii) - परिशिष्ट-VI

अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन पत्रों पर विचार।

क्रम सं०	वाहक का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	निर्णय
1	श्री वशिष्ठ कुमार सिंह, पिता-विवेन्द्र सिंह, कुशपुर, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	BR06P-8309 परमिट संख्या- BR2023-SC-1718A रेकॉर्ड-10.09.2024 फिटरेश 27.10.2024 इन्सुरेंस-21.10.2024 प्रदुपण-15.06.2024	3000/- 08.12.2023	मार्ग संख्या-3972 डाउन, छपरा से मोतिहारी, भाया-बनियापुर, मलमलिया, महमदपुर, खजुरिया। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। छपरा प्र०- 05:18 मोतिहारी प्र०-11:55	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से निर्गत परमिट संख्या BR2023-SC-1718A के प्रतिहस्ताक्षर हेतु समय-सारणी का प्रकाशन करवाया गया। प्रकाशनेपरान्त आपत्ति अप्राम्त है।	स्वीकृत।

वरीय उप सीमाहता,  
राजस्व, मुजफ्फरपुर।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
मुजफ्फरपुर।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
मुजफ्फरपुर।

समक्ष,

**शपथ पत्र**

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता श्री.....  
 ..... पता/ग्राम+पिन .....थाना.....

जिला.....का निवासी हूँ शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि मैं वाहन संख्या .....का मालिक/प्राधिकृत प्रतिनिधि हूँ।
2. यह कि वाहन संख्या ..... के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज) हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफरपुर को ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया हूँ जिसका Acknowledgement No. .... है, जिसमें निम्नवत् त्रुटियाँ रह गई थी:-
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)
3. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफरपुर द्वारा दिनांक ..... की बैठक में उक्त त्रुटियों/अधुरे आवेदन के कारण आवेदन अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जा रहा था, लेकिन मेरे अनुरोध पर सशर्त शपथ-पत्र एवं जुर्माना देने का अनुरोध किया। उपर्युक्त त्रुटियों में सुधार हेतु स्वेच्छा से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा लगाया गया जुर्माना राशि ..... रुपये देने हेतु तैयार हूँ। क्योंकि मुझे पुनः आवेदन देने में समय लगेगा, फीस भी लगेगी एवं मेरा इच्छित टाइम-स्लॉट भी नहीं बचेगा।
4. यह कि उक्त जुर्माना मेरे अनुरोध पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किया गया है। अतएव उक्त निर्णय के विरुद्ध मैं किसी भी न्यायालय या अधिकरण में अपील दायर नहीं करूँगा/करूँगी।
5. यह कि शपथ पत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य एवं तथ्य पर आधारित हैं एवं उपर लिखी हुयी सभी तथ्यों पर मेरी पूर्ण सहमति है एवं किसी प्रकार की गड़बड़ी की पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी।

6. भविष्य में मैं पूर्ण आवेदन सभी साक्ष्यों सहित ही समर्पित करूँगा/करूँगी। अतः मेरे द्वारा जुर्माना राशि इस शपथ-पत्र के साथ समर्पित कर रहा/रही हूँ।

आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि (शपथकर्ता) का हस्ताक्षर

कार्यकर्ता का मोबाईल नम्बर :-

वाहन स्वामी का मोबाईल नम्बर :-

शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया है।

अधिवक्ता

सम्बन्ध

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता श्री ..... पता/ग्राम+पो0  
 .....थाना ..... जिला ..... का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक बयान  
 करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं वाहन संख्या ..... का मालिक/प्राधिकृत कार्यकर्ता हूँ।
2. यह कि वाहन परमिट से आवृत्त है अथवा वाहन परमिट से आवृत्त नहीं है। (जो लागू हो स्पष्ट लिखें)।
3. यह कि मेरे वाहन का परिचालन बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत किया जाता है।
4. यह कि मेरे बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत निम्न वाहनों का परिचालन किया जाता है।

क्र०स०	वाहन संख्या	परमिट संख्या
1		

5. यह कि इसके अतिरिक्त कोई भी वाहन मेरे बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत परिचालन नहीं किया जाता है। यदि किसी अन्य वाहन को भविष्य में परिचालन हेतु बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत शामिल किया जाता है तो इसकी सूचना प्राधिकार को अविलम्ब दूँगा।
6. यह कि मैं वाहन के दोनों तरफ परमिट की संख्या एवं वैधता की तिथि अंकित करना सुनिश्चित करूँगा।
7. यह कि वाहन सीटर है अथवा स्लीपर है अथवा दोनों है। (जो लागू हो उसे लिखें)।
8. यह कि वाहन की परमिट प्राप्त करने के पश्चात् उसकी आन्तरिक संरचना में मेरे द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
9. यह कि परमिट हेतु आवेदन करते समय आवेदित वाहन के अन्दर, बाहर के चारों तरफ (आगे, पिछे, दोनों साईड) का वाहन स्वामी के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ जिससे वाहन की निबंधन संख्या, वाहन सीटर/स्लीपर है, का पता चल सके, मोटरस्थान निरीक्षक से सत्यापन के साथ वाहन की अद्यतन मान्य कागजात यथा- टैक्स, फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण संलग्न है।
10. यह कि परमिट हेतु आवेदित वाहन के प्रकाशित समय-सारणी में वाहन की आयु के अनुसार गति सीमा एवं दूरी का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। गति सीमा की उल्लंघन होने पर परमिट रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी जो मुझे मान्य होगा।
11. यह कि अधिकृत एजेन्ट से वाहन का टिकट बुकिंग सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
12. यह कि किसी अनाधिकृत एजेन्ट अथवा व्यक्ति का उपयोग टिकट बुकिंग कराने में नहीं किया जाएगा।
13. यह कि मान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक एवं संवाहक का उपयोग वाहन परिचालन में किया जाएगा।
14. यह कि मेरे या मेरे परिवार में किसी सदस्य के नाम से निबंधित कोई भी वाहन कर-प्रमादी (tax defaulter) नहीं है।
15. यह कि उक्त वाहन से किसी भी प्रकार के व्यवसायिक माल की ढुलाई नहीं की जाएगी एवं परमिट को किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

16. यह कि परमिट निर्गमन हेतु निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने अथवा शपथ पत्र में मेरे द्वारा घोषित बातों के असत्य पाये जाने पर मेरे परमिट को रद्द किया जा सकेगा एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जो मुझे मान्य होगा।
17. यह कि मार्ग की दूरी 250 कि०मी० से अधिक होने पर दो चालक का उपयोग करूँगा।
18. यह कि मेरे द्वारा परमिट की स्वीकृति हेतु समर्पित वाहन संख्या-..... पर पूर्व से राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, ..... द्वारा अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग संख्या ..... पर परमिट संख्या-..... निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-..... से..... तक है।
19. यह कि मेरे द्वारा इस बात की सहमति प्रदान की जाती है कि परमिट की स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,..... के समक्ष दिनांक..... को समर्पित आवेदन में अंकित वाहन के पक्ष में परमिट की स्वीकृति के उपरान्त मेरे उक्त वाहन के पक्ष में निर्गत पूर्व परमिट स्वतः प्रत्यर्पित मानते हुये मेरे इस शपथ पत्र को ही बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-86 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परमिट निर्गत करने वाले मूल प्राधिकार के समक्ष समर्पित परमिट प्रत्यर्पण संबंधी आवेदन माना जाय।
20. यह कि वाहन से संबंधित सभी समर्पित कागजात सही एवं तथ्यात्मक है।
21. यह कि परमिट प्राप्त करने के पूर्व, पूर्व में निर्गत परमिट की मूल प्रति मैं कार्यालय में प्रत्यार्पित कर दूँगा।
22. यह कि शपथ पत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य एवं तथ्य पर आधारित है एवं उपर लिखी हुयी सभी तथ्यों पर मेरी पूर्ण सहमति है एवं परमिट संबंधी आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी की पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी।

आवेदक/प्राधिकृत कार्यकर्ता (शपथकर्ता) का हस्ताक्षर

कार्यकर्ता का मोबाईल नम्बर :-

वाहन स्वामी का मोबाईल नम्बर :-

शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया है।

अधिवक्ता